रजिस्ट्री संख्या डी. एल.—33004/94

REGD. NO. D.L.—33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 420] नई दिल्ली, शुक्रवार अक्तूबर 7, 1994/आश्विन 15, 1916
No. 420] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 7, 1994/ASVINA 15, 1916

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 अक्तूबर, 1994

सा.का.नि. 744(अ).—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बम्बई पत्तन न्यास के न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए तथा महाराष्ट्र सरकार के राजपत्र में क्रमशः दिनांक 16-6-94 और 23-6-94 को प्रकाशित बम्बई पत्तन न्यास (जोखिम भरे माल का परिवहन, सम्भलाई और भंडारण) विनियम, 1994 को अनुमोदित करती है, जिसके ब्यौरे इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में दिए गए हैं।

[फा. सं. पीआर-16012/3/94-पीजी]
सी. एस. खैरवाल, संयुक्त सचिव

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट

अधिसूचना

क्र. सचिव/जी/डीटी-टीए/577

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 123 की उप-धारा (एफ) से (ओ) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल ने जो निम्न विनियम बनाए हैं, वे कथित अधिनियम की धारा 124 की उप-धारा 2 की आवश्यकतानुसार इन विनियमों से जिन व्यक्तियों के प्रभावित होने की संभावना है, उनकी सूचना के लिए एतद्द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं, और सूचना (नोटिस) दी जाती है कि इन विनियमों के राजपत्र में प्रथम प्रकाशन की तिथि से 14 दिनों की अवधि समाप्त होने के दिन या होने पर उनके लिए केन्द्र सरकार के अनुमोदन का आवेदन किया जाएगा।

मुंबई पत्तन में जोखिमी माल का परिवहन, निपटान/व्यापार और संग्रहण, 1994

भाग I

1.0 शीर्षक—ये विनियम मुंबई भारतीय पत्तन में जोखिमी माल का परिवहन, व्यापार एवं संग्रहण विनियम 1994 कहलाए जायें, ये विनियम कहलाए जायें, मुंबई पत्तन द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम की धारा 123 के खंड (एफ) और (एन) प्रावधानों के अंतर्गत बनाए गए हैं ।

2.0 व्याप्ति—ये विनियम मुंबई की पत्तन सीमाओं के अंदर और सभी गोदियों, घाटों, कंवे जो बंदरों, जेटियों रेल मार्ग आदि पर; तथा मुंबई पत्तन के न्यासी मंडल द्वारा बनायी, प्राप्त की, अथवा उसे सौंपी गई इमारतों एवं अन्य कार्यों पर, तथा मुंबई पत्तन—जो आगे से 'पत्तन' कहलाया जाएगा—के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण के अधीन होने वाली जमीनों और/अथवा तटाग्रों और सभी गोदियों पर लागू होंगे ।

3.0 इन विनियमों में निहित किसी भी बात से मर्चेंट शिपिंग एक्ट (व्यावसायिक नौवहन अधिनियम), 1958, विस्फोटक (Explosives) अधिनियम, 1884, पेट्रोलियम अधिनियम, 1934, ज्वालाग्राही पदार्थ (Inflammable Substance) अधिनियम, 1952, गोदी कामगार (संरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण) अधिनियम, 1990, पर्यावरण अधिनियम (संरक्षण), 1986 और उनके अंतर्गत बनाए गए विनियम के प्रावधानों का महत्व कम नहीं होगा ।

4.0 परिभाषाएँ—

4.1 बोट—'बोट' से तात्पर्य है पत्तन के अंदर माल के चलन-वलन के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला बार्ज अथवा उस प्रकार का अन्य कोई जलयान ।

4.2 अध्यक्ष—'अध्यक्ष' से तात्पर्य है पत्तन के न्यासी मंडल का अध्यक्ष जिसमें उनकी तरफ से कार्यभार देखने के लिए नियुक्त कोई भी व्यक्ति भी शामिल है।

4.3 सक्षम प्राधिकारी—इन विनियमों के संदर्भ में 'सक्षम प्राधिकारी' से तात्पर्य है विनियम लागू कराने के लिए न्यासी मंडल द्वारा उचित रूप से नियुक्त अधिकारी।

4.4 जोखिमी माल—'जोखिमी माल' से तात्पर्य है वह माल जो उसके स्वरूप, मात्रा अथवा जिसके संग्रहण की पद्धति के कारण अपने-आप में स्वतंत्र रूप से या एकत्रित रूप से जहाज पर, या पत्तन की सीमाओं के अंदर के लोगों के जीवन अथवा स्वास्थ्य को खतरा पहुंचा सकता है अथवा ऐसी पत्तन सीमाओं के अंदर की संपदा को नुकसान पहुंचा सकता है, इसमें रिसेप्टेकल, पोर्टेबल टैंक, फ्रेट कंटेनर अथवा वाहन में भरा हुआ आईएमडीजी कोड में यथा परिभाषित माल समाविष्ट है । रिसेप्टीकल, पोर्टेबल टैंक, अथवा वाहनों का पहले जोखिमी माल ढोने के लिये इस्तेमाल किया गया हो—वे जब तक अच्छी तरह साफ किये, सुखाये नहीं जाते, अथवा उस पहले माल का स्वरूप ऐसी ढुलाई सुरक्षित रूप से होगी, तथा कंटेनर अच्छी तरह बंद किये जा सकेंगे इस प्रकार का नहीं होता—तब तक वे रिसेप्टीकल, पोर्टेबल टैंक अथवा वाहन भी जोखिमी माल की व्याख्या में शामिल होंगे ।

जोखिमी माल में वे निम्न पदार्थ सम्मिलित हैं—

(i) जिनमें आईएमडीजी कोडी में सूचीबद्ध वर्गों में आने वाले गुणधर्म हैं ।

(ii) जो विस्फोटक अधिनियम, 1884 और/अथवा विस्फोटक नियम, 1983 द्वारा की गयी 'विस्फोटक' की परिभाषा के अनुसार 'विस्फोटक' माने गये हैं।

(iii) अन्य कोई भी माल जिसे सक्षम प्राधिकारी जोखिमी माल ठहराए ।

(iv) जोखिमी रसायनों का उत्पादन, संग्रहण एवं आयात नियम, 1989 की अनुसूची-(i) में सूचीबद्ध जोखिमी रसायन ।

4.5 निपटान—'निपटान' से तात्पर्य है पत्तन क्षेत्र में जहाज रेलवे वैगन अथवा किसी वाहन से माल का लदान एवं उतराई, संग्रहण क्षेत्र में या वहां से और/अथवा जहाज में स्थानांतरण और जहाजों के बीच नौकांतरण तथा अन्य सहायक प्रचालन इसमें फ्रेट कंटेनर भरना और खाली करना भी शामिल है ।

4.6 आईएमडीजी कोड—'आईएमडीजी कोड' से तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन, लंदन द्वारा जारी किए जाने वाले 'अंतरराष्ट्रीय समुद्री जोखिमी माल' कोड (इंटरनेशनल मेरीटाईम डेंजरस गुड्स) का अद्यतन संस्करण ।

4.7 'आईएमओ' से तात्पर्य है अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (International Maritime Organisation).

4.8 जोखिमी माल निरीक्षक—इन विनियमों के संदर्भ में जोखिमी माल निरीक्षक से तात्पर्य है जोखिमी माल के किसी भी निपटान या परिवहन में इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त व्यक्ति ।

4.9 मास्टर—पत्तन का इस्तेमाल करने वाले किसी भी जहाज के संबंध में 'मास्टर' से तात्पर्य है कुछ समय के लिए उस जहाज का कार्यभार अथवा नियंत्रण देखने वाला पायलट, हार्बर मास्टर सहायक हार्बर मास्टर, गोदी मास्टर या पत्तन का बर्थिंग मास्टर छोड़कर अन्य कोई व्यक्ति ।

4.10 मालिक—माल के संबंध में मालिक की व्याख्या में ऐसे माल के लदान एवं उतराई की जिम्मेदारी होने वाला अथवा बिक्री करने वा कोई भी प्रेषक, परेषिति, नौवाहक या एजेंट आदि शामिल हैं और पत्तन का इस्तेमाल करने वाले जहाज के संबंध में मालिक की व्याख्या में जहाज का कब्जा, जिसके पास है, ऐसा कोई भी 'सह-मालिक (part owner) चार्टरर, परेषिति अथवा अनुबन्धक (mortgagee) शामिल है ।

4.11 जिम्मेदार व्यक्ति—'जिम्मेदार व्यक्ति' से तात्पर्य है मालिक 'और/अथवा मास्टर' द्वारा नियुक्त किया गया, और जिसे जोखिमी माल के परिवहन, निपटान एवं संग्रहण के कामों के संबंध में सारे निर्णय लेने के अधिकार प्राप्त हैं ऐसा उस कार्य के लिए आवश्यक ज्ञान एवं अनुभव होने वाला कोई भी व्यक्ति।

4.12 परिवहन—'परिवहन' से तात्पर्य है पत्तन में परिवहन के एक अथवा अधिक तरीकों से खतरनाक माल का संचलन।

4.13 अस्थिर पदार्थ—'अस्थिर पदार्थ' अर्थात् वह पदार्थ जो ऐसा खतरा टालने के आवश्यक विशिष्ट पूर्वोपाय नहीं किए गए (अवरोधन, मंदन (डाल्यूशन), प्रशीतन या अन्य उतने ही प्रभावशाली उपाय) जो नैसर्गिक प्रतिक्रिया (spontaneous reaction) (उदा बहुलकीकरण पॉलिमराईजेशन) वियोजन (डिकंपोजिशन) आदि के कारण परिवहन के दौरान अथवा संग्रहण स्थिति के कारण खतरनाक सिद्ध हो सकते हैं।

4.14 जहाज—'जहाज' से तात्पर्य है पत्तन में खतरनाक माल के—वहन, ढुलाई और/अथवा परिवहन के लिए मुख्यतः जलमार्ग से बनाई गई कोई भी चीज।

4.15 समुद्री प्रदूषक—जिस घोल या मिश्रण में आय-एमडीजी कोड में समुद्री प्रदूषक के रूप में बताए गए पदार्थ 10% अथवा अधिक मात्रा में हैं, उन्हें समुद्री प्रदूषक चिन्हित किया जाएगा और आईएमडीजी कोड का अनुपालन किया जाएगा, चाहे पदार्थ की श्रेणी कुछ भी हो।

5.0 खतरनाक माल का वर्गीकरण—इन नियमों के संदर्भ में खतरनाक माल निम्न वर्गों में विभाजित किया जाएगा :—

श्रेणी 1	विस्फोटक।
श्रेणी 2	वायु-दाब के अंतर्गत संपीड़ित, द्रवीकृत अथवा विघटित।
श्रेणी 3	ज्वलनशील द्रव।
श्रेणी 4.1	ज्वलनशील घन।
श्रेणी 4.2	निसर्गतः/सहज दहन हो पाने वाले ज्वलनशील घन या पदार्थ
श्रेणी 4.3	पानी के साथ संपर्क आने पर ज्वलनशील वायु उत्सर्जित करने वाले ज्वलनशील घन अथवा ज्वलनशील पदार्थ।
श्रेणी 5.1	ऑक्सीडीकरण करने वाले पदार्थ।
श्रेणी 5.2	ऑरगेनिक पैरॉक्साईड्स।
श्रेणी 6.1	जहरीले (विषजन्य) पदार्थ।
श्रेणी 6.2	औपसर्गिक पदार्थ।
श्रेणी 7	विघटनाभिक पदार्थ।
श्रेणी 8	क्षयकारी (Corrosive)।
श्रेणी 9	जो अनुभव से खतरनाक साबित हुए हैं या होंगे ऐसे अन्य सारे फुटकर खतरनाक पदार्थ भी खतरनाक माल के अंतर्गत माने जायें।

5.1 वर्ग 2 से वर्ग 9 के खतरनाक माल के निपटान के लिए विनियम इन नियमों के भाग IV में विनिर्दिष्ट हैं।

5.2 मुंबई पत्तन में विस्फोटकों के निपटनान के लिए पूरक नियम विस्फोटक अधिनियम, 1884 और/अथवा विस्फोटक नियम 1983 के अंतर्गत अधिसूचित है।

5.3 वर्ग 2 से वर्ग 9 के खतरनाक माल के मुंबई पत्तन में निपटान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं अनुसूची II में विनिर्दिष्ट हैं।

5.4 खतरनाक पदार्थों के खतरों का मूल्यांकन यदि आईएमओ द्वारा अधिसूचित न हो, तो उसके लिए जहाज मालिक/परेषिति मर्चेंट शिपिंग (खतरनाक माल) नियमों के प्रावधान के अंतर्गत नौवहन महानिदेशक, भारत सरकार को आवेदन करे।

भाग II

6.0 जहाज का आगमन—खतरनाक माल उतारने और/अथवा लादने का इच्छुक जहाज मालिक/एजेंट जहाज के पत्तन में आने से कम से कम 48 घंटे पहले निम्नलिखित दस्तावेज सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा :—

6.1 आवेदन प्रपत्र (अनुसूची 1 में यथावर्णित)।

6.2 खतरनाक माल की सूची (3 प्रतिलिपियां, अनुसूची 1)।

6.3 निर्यात माल (अनुसूची 1 के लिए) खतरनाक माल टिप्पणी (3 प्रतिलिपियां)।

6.4 पैकेजिंग प्रमाण-पत्र (केवल निर्यात माल के लिए—यदि आवश्यक हो)।

6.5 माल सूची।

6.5 सारे खतरनाक माल की सामग्री सुरक्षा तिथि, पर्ची (एमएसडीएस)।

6.7 समुद्री प्रदूषक माल का ब्यौरा।

6.8 भारतीय पत्तनों में संग्रहण, निपटान और परिवहन के लिए खतरनाक माल की विशेषताओं पर प्रश्नावली (अनुसूची 2)।

7.0 अमानत—सीधी सुपुर्दगी/माल लदान के मामले, अथवा जहां पत्तन में सीमित अवधि के लिए संग्रहण की अनुमति दी गई है—ऐसे मामलों में पत्तन मालिक/एजेंट से निपटान, संग्रहण, मार्गरक्षा (एस्कॉर्ट) और ऐसे माल की व्यवस्था की अनुमानित लागत और लगाए जाने वाला दंड यदि हो—के लिए अमानत राशि ले सकता है। इस प्रकार जमा की गई राशि धारा 8.0 के अंतर्गत जारी अनुज्ञा पत्र में दिए गए अनुदेशों के अनुसार माल उचित प्रकार से चढ़ाये/उतारे एवं निपटाए जाने के बाद वापस की जाएगी।

8.0 ये दस्तावेज एवं अमानत राशि प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी मालिक/एजेंट को माल उतारे जाने के तरीके,

संग्रहण, विलगीकरण, अन्य आवश्यकताएँ, उपलब्ध कराने के उपकरण और कंटेनर माल के संबंध में पत्तन और/अथवा जहाज की सुरक्षा से संबंधित अन्य शर्तों के बारे में विनिर्दिष्ट निर्देश देगा । सक्षम प्राधिकारी कंटेनर भरे/खाली किए जाने के लिए क्षेत्र/डिपो भी निश्चित करेगा ।

9.0 माल निपटान का प्रारंभ ।

9.1 मास्टर अनुसूची 1 में यथानिर्धारित खतरनाक माल जाँच सूची प्रस्तुत करेगा ।

9.2 सक्षम प्राधिकारी से 8.2 में यथाविनिर्दिष्ट अनुदेश प्राप्त करने के बाद ही (तथा खतरनाक माल निरीक्षक को जांच सूची और मालिक/मास्टर द्वारा दिए गए किसी भी अन्य घोषणा पत्र की यथार्थता से पूरी तरह संतोष हो जाने के बाद ही) जहाज से खतरनाक माल का निपटान कार्य आरंभ होगा ।

10.0 मास्टर की जिम्मेदारियां—

10.1 खतनाक माल से भरा जहाज पत्तन सीमाओं में होने तक उसके मास्टर उचित ध्वज इस प्रकार लगवायेंगे जिससे कि वे सबसे स्पष्ट एवं अच्छी तरह से देखे जा सकें ।

(क) सूर्योदय से सूर्यास्त तक लाल ध्वज; और

(ख) सूर्यास्त से सूर्योदय तक लाल दिया ।

10.2 जब भी खतरनाक माल का निपटान होना हो, मास्टर

10.2 (1) संबंधित प्रचालन पर व्यक्तिगत रूप से पर्यवेक्षा के लिए किसी जिम्मेदार व्यक्ति को नियुक्त करेगा । वह अधिकारी आईएमडीजी कोड और इन विनियमों के अंतर्गत आवश्यक सारे उचित पूर्वोपाय करेगा अथवा करवाने की व्यवस्था करेगा ।

(2) अग्निशमन सामग्री हर वक्त सुसज्ज रखेगा—होजेस और बॅच पाइप्स जोड़े हुए होंगे ।

(3) जिसके लिए खुलोज्योत/खुलीअग्नि का इस्तेमाल आवश्यक है; ऐसा कोई मरम्मत कार्य जहाज के किसी भी हिस्से में नहीं हो रहा है, इसको सुनिश्चित करेगा । इंजिन रूम से संबंधित अग्नि सावधानी से प्रज्वलित रखेगा और अन्य सारी प्रकार की अग्नि अथवा नॉन-सेफ्टी बत्तियां बुझा देगा ।

(4) किनारे पर तैनात उचित व्यक्ति के साथ तत्पर एवं प्रभावी संपर्क बनाए रखेगा ।

(5) जब भी आवश्यक हो, आइएमओ द्वारा प्रकाशित ईएमएए अनुसूची और उसी प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित एमएजी में विनिर्दिष्ट उपकरण उपलब्ध कराएगा या इस्तेमाल करेगा ।

(6) खतरनाक माल के निरीक्षण के लिए पत्तन अधिकारियों को प्रवेश एवं उचित सुविधाएँ देगा ।

(7) पत्तन के सक्षम प्राधिकारी की स्पष्ट अनुमति के बिना खतरनाक माल के कोई भी क्षतिग्रस्त/क्षरक (लिकी) कंटेनर अथवा पैकेज बाजों में या किनारे पर उतारे नहीं जाते इसको सुनिश्चित करें ।

(8) मास्टर सुनिश्चित करेगा कि इस खतरनाक माल के निपटान में लगे सभी व्यक्ति व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री का इस्तेमाल कर रहे हैं । वह यह भी सुनिश्चित करेगा कि इस्तेमाल हो रहा माल निपटान सामान एवं अन्य सामग्री ऐसे माल के सुरक्षित निपटान की आवश्यकतानुसार है ।

(10) वह माल उतारने से पहले सुनिश्चित करेगा की सभी खतरनाक मालपर आयएमडीजी कोड के अनुसार सही प्रकार लेबल अथवा चिह्न लगाए गए हैं ।

(11.1) पत्तन में निपटाया जाने वाला या पत्तन से गुजरनेवाला खतरनाक माल चाहे कंटेनर में हो या अन्य पैकेजों में हो मालिक/एजेंट संबंधित माल की सत्य एवं सही सूचना देगा ।

11.0 मालिक/एजेंट की जिम्मेदारियां —

11.1 पत्तन में निपटाया जाने वाला या पत्तन से गुजरने वाले खतरनाक माल चाहे कंटेनर में हो या अन्य पैकेजों में हो मालिक/एजेंट संबंधित माल की सत्य एवं सही सूचना देगा ।

11.2 पत्तन क्षेत्र में लाये जाने वाले खतरनाक माल के प्रत्येक केस के पैकेज/रिसेप्टेकल्स आई एम डी जी कोड में विनिर्दिष्ट पैकेजिंग मानक का कड़ाई से अनुपालन करेंगे, ऐसे केसेस/रिसेप्टेकल्स पत्तन क्षेत्र में खतरनाक माल के निपटान के दौरान योग्य स्थिति में रखे जायेंगे ।

11.3 पत्तन के अन्दर निपटान के दौरान यदि खतरनाक माल की कोई भी केस या रिसेप्टेकल्स क्षतिग्रस्त होता है या रिसने लगता है, तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी द्वारा बनाये गये प्रतिबंधक उपाय किये जायेंगे ।

11.4 खतरनाक माल की क्षतिग्रस्त केस अथवा रिसेप्टेकल की मरम्मत, का अथवा खराब भरे सामान को पुनः भरने का काम सक्षम प्राधिकारी की देखरेख में खतरनाक माल के वर्गों के लिये लागू विशेष शर्तों के अनुसार किया जाएगा ।

11.5 खतरनाक माल के केस/रिसेप्टेकल पत्तन क्षेत्र के अंदर सिर्फ सीमा शुल्क विभाग द्वारा उचित पद्धति से नमूना निकलवाने के लिये और इसके लिये सक्षम प्राधिकारी की अनुमति प्राप्त कराने के बाद ही खोले जायेंगे अन्यथा नहीं, ऐसी अनुमति आवश्यक प्रतीत होने वाली अतिरिक्त शर्तों एवं प्रतिबंधों पर निर्भर होगी ।

11.6 नमूना निकलवाने की दृष्टि से खतरनाक माल की केस/रिसेप्टेकल खोलने/बंद करने अथवा उसकी मरम्मत करने के लिये ऐसी कोई भी सामग्री इस्तेमाल नहीं की की जायेगी जिससे चिंगारियां निकलने की संभावना है ।

11.7 सारे जोखिमी माल चिन्हित करने, लेबल लगवाने तथा उनके भरे जाने का काम आई एम डी जी कोड द्वारा यथानिर्धारित पद्धति से होगा।

11.8 रिसते, (लिकी) क्षतिग्रस्त अथवा खराब स्थिति में होने वाले किसी भी सामान का निपटान केवल सक्षम प्राधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुदेशों पर ही किया जायेगा।

11.9 मालिक/एजेंट सक्षम प्राधिकारी को खतरनाक माल के निरीक्षण के लिये हर आवश्यक सुविधा उपलब्ध करायेगा।

11.10 खतरनाक माल लाने वाले एजेंट/मालिक माल के निकालने से संबंधित सारी औपचारिकतायें-खास कर सीमा शुल्क विभाग से संबंधित पूरी की गई है इसकी सुनिश्चित करेंगे, ताकि माल की सुपुर्दगी लगभग तत्काल दी जा सके।

11.11 खतरनाक माल फ्रेट कंटेनरों में भरे/उनमें से निकाले जाने का काम आई एम ओ और खतरनाक माल निरीक्षक की सिफारिशों के अनुसार किया जायेगा।

12. प्रतिबंधक उपायों के बारे में दायित्व—

12.1 खतरनाक माल के स्टीमर एजेंट/प्रेषक/परेषिती और पत्तन क्षेत्र के अंदर के सारे परिसर के अधिभोक्ता अथवा देखरेखकर्ता हमेशा सक्षम प्राधिकारी के बताये और इन विनियमों में निर्धारित किसी भी सुरक्षा पूर्वोपाय का पालन करेंगे अथवा पालन की व्यवस्था करेंगे, पत्तन क्षेत्र में खतरनाक माल निपटाया या संग्रहित किया जाता हो, और एजेंट/मालिक/प्रेषक/परेषिती द्वारा दुर्घटना टालने की दृष्टि से संगत पूर्वोपाय नहीं किये गये हों, तो उस स्थिति में सक्षम प्राधिकारी पत्तन की सुरक्षा के लिये आवश्यक कार्यवाही कर सकता है और इसके लिये किया गया खर्चा ऐसे एजेंट/मालिक/प्रेषक/परेषिती द्वारा रखी गई अमानत राशि से वसूल कर सकता है। यदि इस प्रकार जमा की गई राशि पर्याप्त न हो, तो पत्तन अपनी खर्चे की राशि माल की बिक्री द्वारा वसूल कर सकता है।

13.0 नये पदार्थों की नौजियों का निर्धारण—यदि मालिक/एजेंट किसी ऐसे माल की आयात करना चाहता हो, तो जो खतरनाक है पर आई एम डी जी कोड में समाविष्ट नहीं है, तब सक्षम प्राधिकारी को ऐसे माल की प्राप्ति के लिये उचित कार्यपद्धति (मोडलिटीज) की व्यवस्था करने की दृष्टि से पर्याप्त पूर्वसूचना दी जानी चाहिये। पर्याप्त सूचना नहीं दी गई, तो माल को पत्तन में प्रवेश देने से इन्कार किया जा सकता है, यदि ऐसा माल जोखिमी रसायन का उत्पादन, संग्रहण और आयात नियम 1989 की अनुसूची (18) में सूचीबद्ध है, तो मालिक/एजेंट विनिर्दिष्ट अनुमति प्राप्त करेगा और ऐसे माल की प्राप्ति के लिये किये गये सुरक्षा उपायों की सूचना प्रदूषण नियंत्रण मंडल को देगा।

14.0 बार्ज मालिक/चालक की जिम्मेदारी :—

14.1 खतरनाक माल वहन करने वाले बार्जों में एक दूसरे से मेल न खाने वाले विभिन्न वर्गों का माल नहीं भरा जायेगा और जहां एक दूसरे से मेल खाने वाले दो से अधिक वर्गों का माल भरा जाता है, वहां विभिन्न वर्गों के माल के बीच पृथक्करण (सेग्रिगेशन) के लिये पर्याप्त जगह रखी जायेगी। प्रत्येक मामले में खतरनाक माल के निरीक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

14.2 खतरनाक माल वहन करने वाले बार्ज/लाइटर्स के होल्डस तथा डेक का सुपृष्ठ क्षेत्र नान-फ्रिक्शन और नान-स्पार्किंग होगा।

14.3 खतरनाक माल वहन करने वाले बार्ज को कहीं भी अनावृत्त बत्ती अथवा खुली ज्वाला जलाने की सख्त मनाई है।

14.4 किसी भी निर्धारित घाट अथवा पीयर में पास-पास घाट लगाये गये दो बार्जों के बीच 9.0 मी. की सुरक्षित दूरी रखी जायेगी।

14.5 जहां तक व्यवहार्य हो, माल के निपटान के समय बार्ज 'डबल-बैंक' नहीं किये जायेंगे।

14.6 खतरनाक माल के बार्ज/लाइटर्स का किसी भी घाट अथवा पीयर में रात्रि वास्तव्य खतरनाक माल के निरीक्षक की निश्चित अनुमति से ही हो सकता है।

14.7 बार्जों के साथ-साथ खड़े रहने के लिये शेड अधीक्षक की अनुमति आवश्यक होगी और ऐसे बार्जों के प्रवेश के लिये तथा निपटान की उचित व्यवस्था के लिये उसे पर्याप्त सूचना दी जायेगी।

भाग—III

15.0 सामान्य प्रावधान :—

15.1 सक्षम प्राधिकारी की राय में यदि पत्तन क्षेत्र में संग्रहण के उद्देश्य से या पत्तन क्षेत्र से गुजरने के लिये आये खतरनाक माल की तत्कालीन स्थिति, उनकी वहन पद्धति अथवा पोर्ट क्षेत्र में तत्कालीन स्थिति की वजह से यदि जीवित या संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की संभावना हो, तो ऐसा सक्षम प्राधिकारी उस खतरनाक माल को प्रवेश देने से इन्कार कर सकता है।

15.2 यदि पत्तन क्षेत्र में होने वाले किसी खतरनाक पदार्थ में अस्वीकार्य जोखिम हो, तो सक्षम व्यक्ति ऐसा पदार्थ अथवा ऐसा पदार्थ रखे गये पैकेज फ्रेट कंटेनर, पोर्टेबल टैंक वैसल अथवा वाहन आवश्यकतानुसार किसी अन्य स्थान या समुद्र में हटाये जाने का आदेश दे सकता है। जब तक कि अनुचित घटक के सुरक्षित परिवहन और निपटान से संबंधित सारी शर्तें पूरी नहीं की जाती और उसे उचित रूप से प्रमाणित नहीं किया जाता, तब तक किसी अयोग्य पदार्थ/माल को स्वीकार नहीं किया जायेगा।

15.4 एक समय में केवल एक ही वर्ग के माल का निपटान किया जायेगा।

15.5 सक्षम प्राधिकारी की राय में जिस खतरनाक माल से पत्तन की सुरक्षा को खतरा पहुंचने की संभावना हो, ऐसा खतरनाक माल वह सुरक्षित पद्धति से नष्ट कर सकता है, जब ऐसा खतरनाक माल इस प्रकार नष्ट किया जाता है, तब माल का मालिक/एजेंट किसी प्रकार की कोई क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा, जिस खतरनाक माल का निपटान अथवा परिवहन सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के विपरित प्रकार से किया गया हो, ऐसा खतरनाक माल पत्तन द्वारा हटाया अथवा नष्ट किया जा सकता है और उसमें आया खर्च माल के लिए रखी गई अमानत राशि से और यदि अमानत राशि खर्च पूरा करने के लिए पर्याप्त न हो, तो माल की बिक्री से वसूल किया जा सकता है ।

15.6 सारे पदूषक तथा किसी भी खतरनाक माल के रिसाव केकारण उत्पन्न 'स्लाप' जहाजपर ही रहने दिये जायेंगे, तथा पत्तन के प्रदूषण प्रतिबंधक नियमों के अनुसार सारे उपाय किये जायेगें ।

15.7 समुद्री प्रदुषकों का निपटान सक्षम प्राधिकारी निदेशित करेगा ऐसे प्रदूषक समुद्री पर्यावरण में अथवा समुद्र में नहीं फेके जाते, इसकी सुनिश्चिति के लिए प्रत्येक आवश्यक उपाय किया जाएगा ,

16.0 छूट देने के अधिकार :—

16.1 पोर्ट के खतरनाक माल निरीक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किसी भी आदेश के संबंध में कोई भी व्यक्ति अपील कर सकता है, ऐसे अपील अध्यक्ष जी के विचारार्थ प्रस्तुत किए जाएगे और उन पर अध्यक्ष जी का निर्णय अंतिम रहेगा.

16.2 सक्षम प्राधिकारी की सलाह पर अध्यक्ष जी अपवादात्मक मामलों में किसी भी व्यक्ति या परेषित माल के किसी भी प्रेषण को इस विनियमों के किसी भी अथवा सभी प्रावधानों से सशर्त अथवा बिना किसी शर्त के छूट दे सकते हैं।

17.8 दंड :-

17.1 जो व्यक्ति किसी भी विनियम का उल्लघंन करता है, वह 10.000 रुपये के दंड के लिए उत्तरदायी होगा और यदि इस प्रकार उल्लघंन करना जारी रहता है, तो जिस अवधि तक इसप्रकार उल्लघंन चलता रहेगा उस अवधि तक प्रति दिन 1000 रुपये के अतिरिक्त दंड का उत्तरदायी होगा उपरोक्त प्रकार दंड पत्तन विनियमों के अंतर्गत की गई किसी भी कार्यवाही के अतिरिक्त होगा ,

17.2 यदि उल्लघंन जारी रहता है, तो सक्षम प्राधिकारी अध्यक्ष जी की सहमति से जहाज धाट से हटाए जाने की व्यवस्था कर सकता है, ऐसी कार्यवाही लगाए गये दंडों के अतिरिक्त होगी,

भाग IV

खतरनाक माल निपटान के लिए विनियम (आयएमडीजी कोड वर्ग II से IX) दाब के अंतर्गत सम्पिडित द्रवीभूत या विघटित वायुओं का निपटान/संग्रहाण

आयएम डी जी कोड श्रेणी II

18.0 परिभाषा:-इस वर्ग में वायु के प्रकार शामिल है,

18.1 ज्वालाग्राही वायु

18.2 अज्वालाग्राही वायु

18.3 जहरिले वायु

19.0 मालिक/एजेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्दिष्ट सभी अनुदेशों का पालन करेगा .

19.1 जहां तक भारत में उत्पादित सिलिडरों के फंब्रिकेशन, फिटिंग मार्किंग एवं कलर कोड और लेबलिंग की बात है, यदि उनकी क्षमता 1000 लिटर तक हो, तो गैस सिलिडर नियम 1981 में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा और क्षमता 1000 लिटर से उपर हो, तो एम एम पीठ ही (यू) नियम 1981 का अनुपालन किया जाएगा आयातीत सिलिडरों पर आयएमडीजी कोड के अनुसरण में सिलिडर उचित प्राधिकारी द्वारा जांचे और प्रमाणित किए गए है यह दर्शाने वाले चिन्ह लगाए जाएगे।

20.0 गैस भरे सिलिडर /कंटेनर के वाल्व्ह उचित प्रकार से बने डिजाईन से संरक्षित रूप से जोडी गई मजबूत मेटल कंप उपलब्ध कराके सुरक्षित रखे जाएगे, ऐसी मेटल कंप और वॉल्व्ह अथवा वॉल्व्ह के किसी हिस्से के बीच किसी प्रकार का कोई प्रत्यक्ष संपर्क नहीं होगा।

21.0 वायु के सिलिडर /कंटेनर वायु का नाम दर्शाते हुए आयएमडीजी कोड के अनुसार चिन्हित किए जाएगे अथवा मुद्राच्च लेबल लगाए जाएगे ;

2.0 सिलिडरों का निपटान और इस्तेमाल

निपटान के दौरान सिलिडरों को पर्याप्त आधार दिया जाएगा, सिलिडर यहां वहां ले जाने के लिए जहां तक संभव हो, पर्याप्त रूप से मजबूत ट्रालियों अथवा क्रेडल्स का उपयोग होगा, सिलिडरों का निपटान संपूर्ण सावधानी बरतते हुए किया जाएगा, सिलिडर एक दूसरे पर गिरने या इस प्रकार की अन्य अंवाछित स्थिति में आने नहीं दिए जाएगे।

सिलिडर घसीटना, गिराना अथवा उनके साथ खेलना निषिद्ध है,

द्रवीकृत पेट्रोलियम वायु सिलिडर अथवा द्रवरूप किए जा सकने वाले वायु से भरे सिलिडर हर वक्त सीधे रखे जाएगे और इस प्रकार रखे जाएगे जिससे कि वे गिराये नहीं जा सकेगें, आडे रखे गए सिलिडर इस प्रकार रखे जाएगे जिससे कि उनके लुढ़कने की संभावना न हो,

वेल्डिग, कटीग अथवा हिटीग के लिए उपयोग में लाये जाने वाले सिलिडर छोड़कर ज्वालाग्राही वायु से भरे हुए अन्य किसी भी सिलिडर के नजदीक खुली ज्वाला अग्नि बत्ती किए वेल्डिग कार्य, तथा धुम्रपान की सख्त मनाई होगी।

23.8 निपटान के दौरान सारे गैस सिलिडर/ कंटेनर ट्रे पर जमा किए जाएगे, तथापि यदि यह संभव न हो,

तो (सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित) अन्य किसी सुरक्षित पद्धति की स्लींग्ज (Slings) का उपयोग किया जा सकता है,

24.0 सिलिंडर/कंटेनर का तेलयुक्त अथवा चिकने पदार्थों से संसर्ग टालने के लिए हर प्रकार की सावधानी बरती जाएगी और हर संभव उपाय किए जाएंगे ।

25.0 ज्वालाग्राही वायु और टाक्सीक वायु भरे सिलिंडर/कंटेनर का निपटान स्वतंत्र रूप से किया जाएगा और वे एक दूसरे से तथा अन्य प्रकार के वायु से भरे सिलिंडरों से हमेशा अलग रखे जाएंगे ।

26.0 वायु के सिलिंडर/कंटेनर हर वक्त सूर्य किरणों से तथा सीधी उष्णता के अन्य स्रोतों से दूर सुरक्षित रखे जाएंगे ।

27.0 वायु के सिलिंडर/कंटेनर के उपर अन्य कोई भी माल नहीं रखा जाएगा । खाली सिलिंडर/कंटेनर जब तक पूर्णतः वायुमुक्त नहीं किए जाते, तब तक ये विनियम खाली सिलिंडर/कंटेनर के मामले में भी लागू होंगे ।

पैक किए गए ज्वालाग्राही द्रवों का निपटान एवं संग्रहण

29.0 ये विनियम ड्रम रिप्सेटेकल्स एवं केसेस में पैक किए गए ज्वालाग्राही द्रव से संबंधित हैं, पेट्रोलियम उत्पादनों के कंटेनर पेट्रोलियम नियम 1976 में निश्चित की गई आवश्यकताओं का अनुपालन करेंगे ।

इन विनियमों के संबंध में ज्वालाग्राही द्रव निम्न गुटों में विभाजित किए जाएंगे :

29.1 श्रेणी 3.1–बंद स्थिति में 18 सी (0एफ) से नीचे का फलैश पाईंट वाले द्रवों का निचला फलैश पाईंट ।

29.2 श्रेणी 3.2 'बंद कप जांच' नुसार 18 सी (0एफ) से 23 सी (73 एफ) तक (पर 23 सी यह आंकडा सम्मिलित नहीं) के फलैश पाईंट वाले द्रवों का मध्यम फलैश पाईंट गुट ।

29.3 श्रेणी 3.3–'बंद कप जांच' नुसार 23 सी (73 एफ) से लेकर 61 सी (141 एफ) तक के फलैश पाईंट वाले द्रवों का उच्च फलैश पाईंट गुट ।

30.0 प्रतिबंधक उपाय—मालिक/एजेंट सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा वर्णित सभी अनुदेशों का पालन करेगा ।

31.0 इस वर्ग के द्रव बहुलकता में हो सकते हैं और उसमें से खतरनाक वायु एवं उष्णता मुक्त करा देते हैं। जिससे कि रेसेप्टेकल के टूटने बिखरने की संभावना रहती है। इसलिए ऐसे द्रव भरे कंटेनर/रिसेप्टेकलों के निपटान के समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिये । कंटेनर/रिसेप्टेकल गिराये, फेंके, लुढ़काये या अन्य किसी गलत तरीके से निपटाये नहीं जायेंगे ।

32.0 इस प्रकार के लगभग सभी द्रवों की भांप (व्हेपोर) में कुल हद तक मंदक (नारकॉटिक) असर करने वाले गुणधर्म होते हैं। अतः उनका निपटान करने वाले मजदूरों को उसके खतरे से सुरक्षित रखा जाएगा ।

33.0 इस माल के निपटान के समय वह माल आग पकडाने वाले सीधे स्रोतों से हर वक्त—उनके संक्रमण के दौरान भी दूर रखा जाएगा । ऐसा माल शीत एवं हवादार जगह में रखा जाएगा ।

34.0 इस क्षेत्र में अथवा आसपास काम करने वाले कर्मचारी वर्ग को दियासलाई, लाइटर, फिलट अथवा जो आग लगा सके या जिससे चिंगारी निकल सके, ऐसी अन्य कोई भी सामग्री लाने की इजाजत नहीं रहेगी ।

35.0 जहां भी कोई रिसता ड्रम देखा जाए, वह सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों पर हटाकर अलग रखा जाएगा ।

36.0 अत्यावश्यक स्थितियों को छोड़कर सामान्य स्थितियों में ऐसे माल का निपटान केवल दिन में किया जाएगा ।

37.0 ऐसे माल की पैकेजिंग, उसे आग के बाहरी स्रोतों से सुरक्षित रखे जाने की दृष्टि से किया जाता है । यदि उसे कोई नुकसान पहुंचता है, तो वह सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के तहत दूर किया जाना चाहिये ।

38.0 इन द्रवों से नमूना निकालते समय चिंगारीरहित साधन या ऑक्सन पद्धतियां अपनायी जायेगी ।

39.0 इस माल का अन्य सारे माल से पृथक्करण एवं अलगाव IMDG कोड में यथा निर्धारित होगा ।

इंडिया कोड वर्ग IV में निर्धारित माल का निपटान एवं संग्रहण

40.0 वर्ग 4.1 ज्वालाग्राही धनपदार्थ—

इस वर्ग के पदार्थों में ऐसे गुणधर्मों के धनपदार्थ हैं, जो चिंगारी या ज्योत जैसे बाहरी स्रोतों के कारण आसानी से आग पकड़ सकते हैं अथवा घर्षण के जरिये आग लगा सकते हैं । आग लगाने में मदद करते हैं, या शीघ्र दहन होते हैं ।

40.1 वर्ग 4.2—स्वाभाविक दहन की संभावना वाले पदार्थ—

इस वर्ग के पदार्थ द्रव या धनपदार्थ हैं, जिनका सामयिक गुणधर्म हैं, स्वाभाविक रूप से उष्णता देना या आग पकड़ना ।

40.2 वर्ग 4.3—ऐसे पदार्थ, जो पानी से संपर्क आने पर ज्वालाग्राही वायु छोड़ते हैं/निर्माण करते हैं ।

इस श्रेणी के पदार्थ है वे द्रव या धन पदार्थ, जिनका सामयिक गुणधर्म हैं पानी से संपर्क आने पर ज्वालाग्राही वायु पैदा करना । कुछ मामलों में वे (पदार्थ) स्वाभाविक रूप से आग पकड़ लेते हैं ।

ए. आयएमडी कोड श्रेणी IV [i]

41.0 मालिक/एजेंट इस माल के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुदेशों का सख्त पालन करेंगे ।

42.0 निपटान के दौरान पैकेजेस को कोई नुकसान नहीं पहुँचता, इसकी सुनिश्चिति की पूरी व्यवस्था की जाएगी। यह माल (गिराया, फेंका, लुढ़काया) अथवा अन्य किसी गलत तरीके से हथियाया नहीं जाएगा।

43.0 निपटान के दौरान यह माल रिसे नहीं इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। कुछ द्रव रिस जाने की स्थिति में वह पैकेज सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित सुरक्षित प्रकार से हटा दिया जाएगा।

44.0 किसी भी स्थिति में कोई वाहन या मशीनरी या अन्य माल इस गिरे ज्वालाग्राही धन पदार्थों ज्वालाग्राही पदार्थों के रिसाव के ऊपर से गुजरने/लुढ़कने नहीं दिया जाएगा।

45.0 यह सुनिश्चित करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है कि निपटान/संग्रहण अथवा परिवहन के प्रत्येक चरण में ऐसा माल अन्य माल से दूर तथा सक्षम प्राधिकारी के निर्धारण के अनुसार सुरक्षित दूरी पर निपटाया जा रहा है।

बी. आयएमडीजी कोड वर्ग IV(ii)

46.0 उपरोल्लिखित सभी विनियम इस श्रेणी पर भी लागू है। इनके अतिरिक्त उन पर निम्न प्रतिबंध भी लागू हैं।

47.0 यदि संपूर्ण अवधि के लिए वायु रुध्द करने (हर्मेटिकली) मुहरबंद स्थिति में पैक रहते हैं, तो उन्हें पत्तन क्षेत्र के अंदर रहने देने की अनुमति दी जा सकती है।

48.0 स्वाभाविक दहन की संभावना होने वाले ज्वालाग्राही धन पदार्थ संक्रमण के दौरान या तो जोखिमी माल शेड के अंदर अथवा ऐसे माल के स्वतंत्र अलग-अलग प्रेषणों से संबंधित अनुदेशों में दर्शाए गए किसी अन्य परिसर में छोटे ढेर रखकर संग्रहित किए जाएंगे, ऐसे छोटे ढेरों के बीच तथा इन ढेरों एवं दीवारों के बीच हर तरफ के उचित खाली जगह छोड़ी जाएगी। अतितप्त होने की संभावना नहीं है, इसकी सुनिश्चिति करने की दृष्टि से सक्षम प्राधिकारी इन ढेरों का नियमित और आवधिक निरीक्षण करेगा। यदि कोई ढेर अपेक्षा से अधिक गर्म पाया जाता है, तो वे ढेर गिराये/हटाए जाएंगे। उन्हें ठंडा किया जाएगा और उचित प्रकार से पुनः ढेर में रखकर रखा जाएगा।

सी. आयएमडीजी कोड वर्ग IV(iii)

49.0 40.0 से 45.0 तक के सभी विनियम इस वर्ग पर भी लागू होंगे इनके अलावा इन पर निम्न प्रतिबंध भी लागू होंगे।

50.0 यदि बारिश हो रही हो, तो पानी से संपर्क आने पर ज्वालाग्राही वायु निर्माण करने वाले धन पदार्थों या घटकों का निपटान नहीं किया जाएगा।

ऐसे पदार्थों के निपटान और संक्रमण संग्रहण के प्रत्येक चरण में ऐसे पदार्थों के गिले न होने देने या सर्द हवा के संपर्क में न आने देने के लिए हर संभव प्रतिबंधक उपाय किए जाएंगे।

51.0 कुछ पदार्थों के केवल सर्द हवा के संपर्क से भी खतरनाक प्रतिक्रिया होने की संभावना रहती है। इसलिए इस तरह का माल भरे कंटेनर को कोई नुकसान पहुंचाता है या वह टूटता है, तो ऐसे कंटेनर का निपटान सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार किया जाएगा। समक्ष प्राधिकारी सुरक्षा की सुनिश्चिति के लिए कोई भी आवश्यक कार्यवाही कर पायेगा यदि उसे आवश्यक प्रतीत हो तो वह ऐसा कंटेनर नष्ट करा देने के भी आदेश दे सकता है।

आयएमडी कोड वर्ग V—निपटान/संग्रहण

52.0 वर्ग VI—आक्सीडीकरण पदार्थ (एजेंट्स)—कुछ पदार्थ ऐसे भी होते हैं, जो अपने आप में शायद दहनशील न हों, पर आक्सीजन के अनुवर्तन (यिल्डिंग) करके या ऐसी ही किसी प्रकिया द्वारा उनके संपर्क में आने वाली अन्य सामग्री में आग लगने का खतरा पैदा करते हैं या आग की तीव्रता बढ़ा सकते हैं

52.1 वर्ग V(ii)—आरगॉनिक पैराक्साईड:—जिन आरगॉनिक पदार्थों में द्विसंयोजक O-O स्ट्रक्चर निहित है और जो एक अथवा दो हाईड्रोजन एटम की जगह आर्गेनिक रैडिकल द्वारा ली जाने पर हाईड्रोजन पेराक्साईड के (किराद्वेटिव्ह) माने जा सकते हैं, ऐसे पदार्थों के बाहय स्वयं गतिवर्धन अपघटन (एक्सोथर्मिक सेल्फ एक्सिलरेटिंग डिकंपोजिशन) की संभावना रहती है। इसके अलावा उनमें निम्नमें से एक या अधिक गुणधर्म हो सकते हैं:—

विस्फोटक भंजन की संभावना वाली
तेजी से जलन
घर्षण या टकराव/दबाव के प्रति अधिक संवेदनक्षम
अन्य पदार्थों पर खतरनाक प्रतिक्रिया देना
आँखों को नुकसानदेय

53.0 मालिक/एजेंट इस माल के निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए अनुदेशों का सख्त पालन करेंगे।

ए. आक्सीडीकरण पदार्थ—आयएमडीजी कोड वर्ग V(i)

54.0 इस वर्ग के सभी पदार्थों में आग के संपर्क में आने पर प्राण वायु उत्सर्जित करने वाले घटक होते है और ऐसे पदार्थों का मिश्रण दाहक सामग्री के साथ कभी कभी केवल घर्षण या टकराने से भी तुरत आग पकड़ सकता है। इसलिए यह माल प्राप्त करने से पहले सभी बोटस तथा किनारे के सभी स्थान एवं सारे मालगोदाम अच्छी तरह साफ किए जाने चाहिए।

55.0 कोई भी क्षतिग्रस्त या रिसता कंटेनर सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार ही हटाया जाएगा।

56.0 इस प्रकार का माल गिर जाने/रिसने की स्थिति में उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से अलग से साफ किया/उठाया तथा हटाया जाएगा। इस प्रकार गिरे/फैले माल पर से किसी भी प्रकार का कोई बोझ/वजन कतई ले जाया नहीं जाएगा।

57.0 अम्लों द्वारा विषजन्य गैस उत्सर्जित किये जाने की काफी संभावना रहती है। इसलिए ये पदार्थ खास तौर पर अम्लों से संपूर्ण अलग रखे जाने चाहिए।

58.0 यह माल जिस बार्ज में या और जहां-जहां संग्रहित किया जाता है, उस बार्ज एवं उन स्थानों को उस माल की सुपुर्दगी होने या निकाले जाने के बाद संपूर्ण सफाई की जाएगी।

59.0 अमोनिया नाइट्रेट्स पर विशेष प्रतिबंध—आई-एमडीजी कोड में विनिर्दिष्ट किये के अनुसार बंदरगाह में लाये जाने वाले अमोनियम नाइट्रेट का ऑर्गनिक अशुद्धियों से मुक्त होना प्रमाणित होना चाहिए। उस माल के उत्पादक देश के सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी शुद्धता प्रमाण पत्र ऐसे माल या जहाज को गोदी में प्रवेश की अनुमति दिये जाने से पहले प्रस्तुत किया जाना चाहिए. ये नियम खाद श्रेणी के अमोनियम नाइट्रेट पर लाग नहीं होंगे।

बी. ऑर्गेनिक पैरॉक्साइड—आईएमडीजी कोड वर्ग 7

60.0 ऑर्गेनिक पैरॉक्साइड का निपटान—द्रव ऑर्गेनिक पैरॉक्साइड के रेसेप्टेकल बिल्कुल सीधे रखे जायेंगे। जरा से तिरछे हो जाने पर द्रव उनमे से गिर सकते हैं। ये द्रव रेसेप्टेकल के धातु से अथवा अन्य किसी वस्तु से संपर्क आने पर तीव्र प्रतिक्रिया देते हैं। जिनके कारण बड़े विस्फोट भी हो सकते हैं।

61.0 अन्य ऑर्गेनिक पैरॉक्साइड (द्रव स्थिति में न होने वाले) पूरी सावधानी बरतते हुए निपटाये जायेंगे। यदि आवश्यक हो, तो लैंडिंग कुशन्स का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि घर्षणीय संपर्क टाला जा सके।

62.0 यदि पैरॉक्साइड रखा गया कोई रेसेप्टेकल या पैकेज क्षतिग्रस्त या रिसती स्थिति में पाया जाता है, तो उसे पानी से पूरी तरह भिगो दिया जाएगा, और बाद में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशित तरीके से उसे हटाया जाएगा। पुनः पैकिंग अथवा क्षतिग्रस्त रेसेप्टेकल की मरम्मत का कार्य पत्तन क्षेत्र में करने की अनुमति नहीं है।

63.0 इस माल का निपटान किया जा रहा हो, उस पूरी अवधि के दौरान फायर-होजेस निकालकर अग्निशमन कर्मचारी वर्ग हर वक्त तुरंत कार्यवाही की दृष्टि से तैयार होना चाहिए।

64.0 ऑर्गेनिक पैरॉक्साइड का आंखों से संपर्क टाला जाएगा। जब ऐसे माल से संबंधित काम हो रहा हो, तब उचित संरक्षण सामग्री उपलब्ध एवं इस्तेमाल की जाएगी।

65.0 यह माल हमेशा चिंगारी ज्योत, अथवा आग के अन्य स्रोतों से हमेशा दूर रखा जाएगा।

66.0 इस माल के पैकेजों का सूर्यकिरणों से सीधा संपर्क आने नहीं दिया जाएगा। और ऐसे माल का संग्रहण और निपटान अच्छे हवादार स्थानों में किया जाएगा।

67.0 ऑर्गेनिक पैरॉक्साइड का निपटान बाकी माल से दूर, अलग से किया जाएगा।

68.0 इस माल का निपटान केवल दिन की रोशनी में ही किया जाएगा।

निपटान/संग्रहण—आईएमडीजी कोड वर्ग 5

(69.0 वर्ग 6-I जहरीले (विषजन्य पदार्थ)—

69.0 वर्ग 6-I जहरीले (विषजन्य पदार्थ)—'विषजन्य' से वही अर्थ अभिप्रेत है, जो 'जहरीले' शब्द से है, ये वो पदार्थ हैं, जो निगलने, सूंघने से या त्वचा के संपर्क में आने से मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, या वह गंभीर रूप से घायल हो सकता है, या वे उसके लिए अपकारक साबित हो सकते हैं।

69.1 वर्ग 6-II संसर्गजन्य पदार्थ—ऐसे पदार्थ, जिनमें वायेबल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अथवा उनके विषय (टॉक्सिन) समाविष्ट होते हैं और जिनके बारे में यह ज्ञात है या संदेह है कि वे मानव एवं जानवरों में रोग पैदा करते हैं।

70.0 मालिक/एजेंट इस माल के निपटान के बारे में सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का पूरा अनुपालन करेगा।

71.0 रेसेप्टेकल—पोर्ट में लाये जाने वाले जहरीले पदार्थों के रेसेप्टेकल वायुरोधित करते मुहरबंद एवं सुरक्षित रूप से बंद स्थिति में होंगे, ताकि उसमें से भंप/द्रव/धूल निकल न पाये।

72.0 बार्ज मिलने से पहले तथा निपटान के दौरान सारे समय रेसेप्टेकल/कंटेनरों का निरीक्षण होना चाहिए।

73.0 इस वर्ग के जिस पदार्थ का फ्लश पॉइंट 61 सी, 141.8 एफ के नीचे है, वह भी परिभाषा के अनुसार ज्वालाग्राही द्रव है। इसलिए इस माल के निपटान में भी वैसी ही सावधानी बरती जाएगी जैसी कि ज्वालाग्राही द्रवों के लिए बतायी गयी है और ये द्रव शीत एवं हवादार जगह में संग्रहित किये जायेंगे।

74.0 ऐसे माल के सारे रेसेप्टेकल निपटान के समय सीधे ही रखे जाएंगे, ताकि गिर न पाये।

75.0 ये पदार्थ त्वचा से अवशोषण, अंतग्रहण से या सांस में घुलने से जहरीले साबित हो सकते हैं। इसलिए मजदूरों एवं इन पदार्थों के निपटान से संबंधित अन्य सभी लोगों की सुरक्षा के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित योग्य संरक्षक सामग्री की व्यवस्था की जाएगी।

76.0 ऐसे पदार्थों के रेसेप्टेकल्स का निपटान अन्य माल से अलग कराके किया जाएगा।

77.0 ऐसे पदार्थ यदि कभी खुले में संग्रहित किये जाते हैं, तो वे भारी/मजबूत टारपोलिन से अच्छादित रहेंगे और किसी प्रकार का रिसाव नहीं है। आदि की सुनिश्चित

के लिए अक्सर/नियमित निरीक्षण किया जाएगा और ढेर पर सुस्पष्ट दिखायी दें ऐसे उचित आईएमडीजी लेबल लगाये जाएंगे, ताकि आसपास काम कर रहे लोग उसे जहरीले माल के रूप में जान जाये। तथापि 61-सी, 141.8 एफ से कम फ्लश पॉइंट वाले ये पदार्थ किसी भी ज्वालाग्राही द्रव की तरह शीत एवं पर्याप्त हवादार जगह में रखे जायेंगे।

78.0 निपटान-संक्रमण या संग्रहण के दौरान कोई नुकसान होता है या माल गिर जाता है, तो उस स्थिति में वह माल, तथा उससे प्रदूषित हुए अन्य किसी माल के निपटान संबंधी निर्णय सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिया जायेगा।

79.0 जहरीले पदार्थों के संबंध में किसी दुर्घटना की स्थिति में की जानेवाली कार्यवाही—

निपटान या संक्रमण संग्रहण के दौरान जहरीले पदार्थ के किसी रेसेप्टेकल/केस को कोई नुकसान पहुंचता है या उसमें रिसाव पाया जाता है, तो उस स्थिति में—

79.1 सक्षम प्राधिकारी को तुरंत सूचित करें।

79.2 आसपास के लोगों को वहां से हटकर सुरक्षित क्षेत्र में जाने की सूचना दें।

79.3 जिन लोगों की जहर से बाधित हो जाने की आशंका हो, उन्हें यदि उचित हो, तो प्रथमोपचार कराकर फिरपोर्टट्रस्ट अस्पताल भिजवाने की व्यवस्था करें।

अनुभाग के कोई जिम्मेदार कर्मचारी इन लोगों के साथ हो, ताकि वह कामपर होनेवाले डॉक्टर को दुर्घटना से संबंधित जहर का नाम तथा उसके ज्ञात गुणधर्मों की जानकारी दे सकें।

79.4 रिसाव के क्षेत्र के विसंदूषकरण के लिये योग्य आवश्यक कार्यवाही की जाए (रिसे जहर से दूषित माल यथा निर्दिष्ट प्रकार से निपटान के लिये अलग कराके रखा जायेगा।

80.0 विसंदूषीकरण :

इस वर्ग के जहरीले पदार्थों—खासकर द्रव पेस्टिसाइड्स के रिसाव के मामले में संबंधित पदार्थों की दृष्टि से समुचित विसंदूषीकरण उपाय सक्षम व्यक्ति की देखरेख में किये जायेंगे।

80.1 किसी भी व्यक्ति को जहाज के किसी भी ऐसे फोल्ड या कंपार्टमेंट में—जहां इस वर्ग के कुछ पदार्थों के रिसाव की आशंका हो—प्रवेश की अनुमति केवल तभी दी जायेगी, जब मास्टर या अन्य जिम्मेदार अधिकारी द्वारा सभी सुरक्षा उपाय किये गये हों, और वहां प्रवेश करने में कोई खतरा नहीं, इस बात से वे संतुष्ट हों।

80.2 अन्य स्थितियों में 'होल्ड' के अंदर आपातकालीन प्रवेश प्रशिक्षित कर्मचारी-वर्ग द्वारा स्वयंपूर्ण श्वसन उपकरण और अन्य संरक्षक कपड़े पहनकर किया जायेगा।

81.0 औपसर्गिक (इन्फेक्शन) पदार्थ—IMDG कोड वर्ग 5 (II)

जो जहाज मालिक/एजेंट औपसर्गिक पदार्थों का निपटान करना चाहता हो, वह निपटान किये जाने वाले माल का सारा संबंधित ब्यौरा सक्षम प्राधिकारी को पर्याप्त समय पहले प्रस्तुत करेगा। यह समय पत्तन प्राधिकारियों को विशेषज्ञों द्वारा निर्धारित सारी शर्तों/प्रतिबंधों के अनुसार माल के निपटान की व्यवस्था करने की दृष्टि से विशेषज्ञों की सलाह एवं सहायता प्राप्त करने के लिये पर्याप्त होना चाहिये।

विघटनाभिक (रेडियोअक्टिव) पदार्थों का निपटान/IMPG कोड वर्ग

82.0 परिभाषा

वहन के उद्देश्य की दृष्टि से 70 KBO/कि.ग्रा. से अधिक निर्दिष्ट विघटनाभिता होनेवाली प्रत्येक सामग्री विघटनाभिक सामग्री घोषित की जानी चाहिये।

83.0 ऐसी सामग्री का निपटान करने का इच्छुक परेषिती या एजेंट ऐसे माल के उचित निपटान के लिये भाभा अणुसंधान केंद्र (भाभा ऑटोनिक रिसर्च सेंटर) ट्रॉम्बे-से आवश्यक सलाह प्राप्त करेगा।

84.0 वे जोखिमी माल सामान सूची (अनुसूची I) और बीएआरसी के अनुदेशों की प्रतिलिपियां सक्षम प्राधिकारी को पर्याप्त समय पहले प्रस्तुत करेंगे, ताकि पत्तन इस माल को प्राप्त करने के लिये आवश्यक व्यवस्था कर सकें।

85.0 परेषिती द्वारा ऐसे माल का निपटान सामान्यतया विशेषज्ञ तकनीकी पर्यवेक्षण/देखरेख में किया जाता है। फिर भी अणुशक्ति विनियम मंडल (ऑटोमिक एनर्जी रेग्मुलेशन बोर्ड) की सारी सिफारिशों का पालन हो रहा है, यह देखने की जिम्मेदारी सक्षम प्राधिकारी की रहेगी।

86.0 क्षयकारी पदार्थों का निपटान और संग्रहण IMDG वर्ग 8

मालिक/एजेंट इस माल के निपटान के लिये सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिये गये अनुदेशों का संपूर्ण पालन करेंगे।

87.0 इस वर्ग के पदार्थों में ऐसे गुणधर्म होते हैं, जो जीवित ऊतक (टिश्यू) को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे भाँप उत्सर्जित कर सकते हैं, जिनके कारण श्लेष्मल झिल्लियों (म्यूकस मेंबटेन) की जलन (इरिटेशम) होती है कुछ भांप जहरीली भी हो सकती है। इसलिये ऐसे पदार्थों का निपटान करनेवाले तथा उसके संपर्क में आनेवाले लोगों के लिये योग्य व्यक्तिगत संरक्षक साधन उपलब्ध कराये जाना अत्यंत आवश्यक है।

88.0 इस माल का निपटान अन्य वर्ग के माल से बिल्कुल अलग रखकर किया जायेगा, तथा अम्ल क्षार उचित रूप से अलग किये गये हैं, इसकी सुनिश्चित के लिये पूरी सावधानी बरती जायेगी।

89.0 इस माल के रेसेप्टेकल/कार्बोय का निपटान अत्याधिक सावधानी से, तथा उन्हें हमेशा सीधे/खड़े रखकर किया जायेगा, ताकि किसी प्रकार का नुकसान या रिसाव टाला जा सके।

90.0 कोई भी क्षतिग्रस्त रेसेप्टेकल/कार्बोय तुरंत अलग कराया जायेगा, और सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों के अनुसार हटाया जायेगा। त्वचा से संपर्क न आने देने के लिये विशेष सावधानी बरती जायेगी।

91.0 इस वर्ग के 61-सी से कम फलश पाइंट होनेवाले पदार्थ ज्वालाग्राही पदार्थ होंगे, और इसलिये उनके निपटान एवं संग्रहण के दौरान सभी आवश्यक उपाय किये जायेंगे।

92.0 यह माल आच्छादित जगह में संग्रहित किया जाना चाहिए। जब यह संभव न हो, तब वह खुली जगह में, परंतु आच्छादित प्लेटफार्म पर—अन्य माल से अलग नया उचित प्रकार चिन्हित करके रखे जाएंगे।

93.0 जब भी क्षयकारी पदार्थों के कोई रेसेप्टेकल या निपटाने वाले कार्बोय क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वे सक्षम प्राधिकारी के निदेशानुसार नष्ट किए या कराये जाएंगे।

94.0 दुर्घटना के समय—

94.1 आसपास के क्षेत्र के सारे व्यक्तियों को वहां से हटकर दूर सुरक्षित क्षेत्र में भेजा जाएगा।

94.2 दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तियों को तत्काल प्रथमोपचार उपलब्ध कराये जाएंगे और बाद में जल्द से जल्द अस्पताल या उचित उपाय दिलाने के अन्य स्थान पर भेज दिया जाएगा।

94.3 विशेष चिकित्सा सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

तथा

94.3 सक्षम प्राधिकारी को तुरन्त सूचना भेजी जाएगी।

95.0 सक्षम प्राधिकारी क्षयकारी माल जहां गिर गया हो, वह क्षेत्र तथा गिरे क्षयकारी पदार्थ से दूषित सभी चीजों के विसंदूषिकरण की व्यवस्था करेगा।

खुदरा खतरनाक माल का निपटान एवं संग्रहण (आयएमडीजी कोड वर्ग IX)

96.0 इसमें ऐसे कुछ पदार्थ समाविष्ट हैं जो बताये गये किसी एक निश्चित वर्ग में ठीक तरह नहीं लाये जा सकते, क्योंकि उनसे एक विशिष्ट खतरे की संभावना रहती है जो अन्य वर्गों से संबंधित विनियमों द्वारा 'कवर नहीं किया जा सकता या ऐसे पदार्थों के वहन में अन्यों की तुलना में कम खतरा रहता है।

97.0 ऐसे पदार्थों का निकास संमत करते समय सक्षम प्राधिकारी उनके विशेष गुणधर्मों तथा उनके ज्ञात खतरों पर गौर करेगा और उनके सुरक्षित निपटान एवं संग्रहण के लिए आवश्यक प्रतिबंधक उपाय निर्दिष्ट करेगा।

98.0 रद्द करना—इन विनियमों के लागू होने पर मर्चेंट (जोखिम माल का निपटान) विनियम 1986 रद्द हो जायेंगे—बशर्ते कि इन विनियमों के इस प्रकार रद्द होने से उस विनियम का पूर्व प्रचलन एवं कथित विनियम के अंतर्गत जारी आदेश प्रथाएं या उनके अंतर्गत की गयी किसी बात या की गयी किसी कार्यवाही पर कोई प्रतिकूल असर नहीं होगा।

खतरनाक माल के लदान/उतारे जाने के लिए आवेदन पत्र निकसन एवं नौवहन (क्लिअरिंग और शिपिंग) एजेंसी का नाम

खतरनाक माल निरीक्षक,
.....पोर्ट ट्रस्ट,
.....

महोदय,

संदर्भ : जहाज का नाम आगमन/देय तिथि एवं यात्रा

उपरोक्त जहाज.....(पत्तन)..से दिनांक .....को आना अपेक्षित है।

2. *उस जहाज में जोखिमी माल भरा हुआ है, जो इस पत्तन में उतारा जाना है ('स्वतंत्र सूची संलग्न करें)।

3. *इस जहाज पर 'संक्रमण' (ट्रांजिट) माल के रूप में निम्न जोखिमी माल भी रखा गया है, जो.....पत्तन/पत्तनों में भेजा जाना है। (पत्तन/पत्तनों के नाम दें) (स्वतंत्र सूची संलग्न करें)

4. *हम नीचे बताये पत्तन/पत्तनों को भेजने के लिए निम्न जोखिमी माल उपरोक्त जहाज पर चढाना चाहते हैं, (स्वतंत्र सूची संलग्न करें)

5. कृपया पावती दें और संलग्न सूचियों पर उपरोलिखित माल के लिए आवश्यक अनुदेश दें।

धन्यवाद,

भवदीय,

संलग्न : (1) जोखिमी माल की सूची।

(2) जोखिमी माल की टिप्पणी।

(3) जांच सूची।

(4) पेकेजिंग प्रमाण पत्र (निर्यात माल के लिए यदि आवश्यक हो)।

(5) संक्रमण माल की सूची—यदि जहाज पर रखा गया हो।

अनुसूची—I

इस अनुसूची में जोखिमी माल सूची, जोखिमी माल टिप्पणी तथा जांच सूची आदि सहित आवेदन पत्र को नमूना सूची समाविष्ट है, जोखिमी माल के लदान और/अथवा

उतारने का काम शुरू करने से पहले जहाज द्वारा ये प्रपत्र उचित रूप से भरकर प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

जोखिमी माल के लिए जहाज की जांच सूची

जहाज का नाम :.....पत्तन (पोर्ट) .....
घाट ..... तिथि.....
पूरे करने के अनुदेश

सुरक्षित प्रचालन की दृष्टि से सारे प्रश्नों के जवाब सकारात्मक होना आवश्यक है। यदि सकारात्मक उत्तर नहीं दे पाते हो, तो उसका कारण बताया जाएगा।

अनुक्रमांक	टिप्पणी
1	क्या जहाज सुरक्षित रूप से बांधा गया है ?
2	जहाज पर प्रभावकारी 'डेकवॉच' की व्यवस्था है ?
3	जहाज-किनारे के बीच संपर्क व्यवस्था कार्यरत है ?
4	अग्निभवन एवं अग्निशमन उपकरण तुरन्त इस्तेमाल के लिए तैयार है?
5	प्रदूषक जहाज पर न गिरे, इसकी सुनिश्चिति के लिए समुद्र एवं जहाज के व्हाल्वह इस्तेमाल में न होने पर हमेशाबद रखे जाते हैं ?
6	क्या कामकाज की जगह पर 'धूम्रपान निषिद्ध के सूचनापट्ट सुस्पष्ट तथा आसानी से ध्यान जाये इस प्रकार लगाए गए हैं ? क्या धूम्रपान संबंधी सूचनाओं का पालन किया जाता है ?
7	क्या गली एवं रसोई के साधनों के इस्तेमाल सबंधी आवश्यकताएं निभाई जा रही हैं ?
8	क्या अनावृत्त बल्ब सबधी निवेश पूरे किए जाते हैं ?
9	क्या कर्मचारियों के लिए व्यक्तिगत सुरक्षा साधन उपलब्ध हैं ?
10	क्या कामकाज की जगह पर काम करने के लिए उचित रोशनी है ?
11	क्या निपटान उपकरण जांचे गए एवं प्रमाणित , और इस्तेमाल के लिए योग्य हैं ?
12	क्या आप माल के लिये यथा निर्धारित ईएम एक्स प्लान कार्यान्वित करने के लिये तैयार हैं ?
13	क्या आपके पास आयएमडीजी कोड द्वारा यथा निर्धारित आवश्यक दवाईयां (अंटीडोट) हैं ?
14	क्या कामगाज के आसपास अग्नि/उष्णता की आवश्यकता होने वाले मरम्मत कार्य रोक दिए गए हैं ?
15	क्या कंटेनर पैकेट कार्बोयाज बोतलें, ड्रम या पैकिंग के अन्य सारे साधन क्षतियुक्त/रिसाव मुक्त एवं काम के लिए अन्यथा सुरक्षित कर लिए गए हैं।

मास्टर

टिप्पणी—जांच सूची पर मास्टर के हस्ताक्षर हो जाने तक कोई भी जहाज जोखिमी माल का निपटान का कार्य शुरू नहीं करेगा। इसके अलावा यदि किसी प्रश्न का जवाब नकारात्मक हो, तो भी जोखिमी माल का निपटान प्रचालन शुरू करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक है।

अनुसूची—II

1.0 मुंबई बंदरगाह में उतराने एवं निपटान करने की पद्धति तय करने की दृष्टि से जोखिम माल 'आयएमडीजी वर्गीकरण पैकेजिंग एवं नौभरण के अनुसार निम्न गटों में विभाजित किया गया है।

1.1 गुट 1—आयएमडीजी वर्गीकरण।

3.1 फ्लंश पाइंट—18 सी के नीचे

3.2 फ्लंश पांइट—10 सी के नीचे

4.1 पैकेजिंग गुट 1 और नौभरण श्रेणी 'डी'

4.3 पैकेजिंग गुट : 1 और नौभरण श्रेणी 'डी'

6.1 यथोक्त, और फ्लंश पांइट 10सी के नीचे

8.0 यथोक्त, और फ्लंश पाइंट—10 सी के नीचे

(माल) हाजी बंदर में सीधी सुपुर्दगी के लिए बीच प्रवाह उतारा जाना है, तथापि सक्षम प्राधिकारी कंटेनरीकृत माल सीधी सुपुर्दगी के लिए गोदियों में खुले घाट में उतारे जाने की अनुमति दे सकता है।

1.2 गुट II—आयएमडीजी वर्गीकरण

2.1

2.3

3.2 फ्लॅश पॉइंट—10 सी से ऊपर 23 सी तक

4.1 पॅकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी ई और सी

4.2 पॅकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी डी और ई

4.3 पॅकेजिंग गुट II और नौभरण श्रेणी ई और सी

5.1 पॅकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी डी और ई

5.2 पॅकेजिंग गुट I और नौभरण श्रेणी डी और ई

6.1 10सी से 23 सी के नीचे का फ्लॅशपाइट

7.0

8.0 10सी से 23 सी के नीचे का फ्लॅशपाइट

हाजीबंदर में सीधी सुपुर्दगी के लिये बीच प्रवाह उतारा इस गुट के माल के कंटेनर हाजीबंदर में भेजने के पूर्व

संग्रहण एवं सुपुर्दगी के लिये गोदियों में उतारने की संमती दी जा सकती है ।

1.3 गुट III

I MDG वर्गीकरण

3.3

2.3

1.4 गुट IV IMDG वर्गीकरण—

6.1 पैकेजिंग गुट II और III तथा नौभरण श्रेणी ए और बी

8.0 पैकेजिंग गुट II और III तथा नौभरण श्रेणी ए और बी

निपटान एवं संग्रहण के संबंधित सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों पर माल संग्रहण एवं सुपुर्दगी के लिये गोदियों में उतारे जाने की अनुमति दी जा सकती है ।

चूंकि माल उतारने का स्थान उक्त खंड में स्वयं ही दर्शाया गया है, अनुसूची II का खंड 2 रद्द माना जाये ।

2.6 मालिक/एजेंट की जिम्मेदारी

खतरनाक माल माल वहन करने वाले बीजों में एक दूसरे से मेल न खाने वाले विभिन्न वर्गों का माल नहीं भरा जाएगा और जहां एक दूसरे से मेल खानेवाले दो से अधिक वर्गों का माल भरा जाता है, वहां विभिन्न वर्गों के माल के बीच पृथकरण (सेग्रिगेशन)– के लिए पर्याप्त जगह रखी जाएगी । प्रत्येक मामले में खतरनाक माल के निरीक्षक अथवा सक्षम प्राधिकारी के अनुदेशों का अनुपालन किया जाएगा ।

खतरनाक माल वहन करने वाले बार्ज/लाइटर्स के होल्डस तथा डेक का भूपृष्ठ क्षेत्र नॉन-स्पार्किंग और नॉन-स्पार्किंग होगा ।

खतरनाक माल वहन करने वाले बार्ज को कहीं भी अनावृत्त बत्ती अथवा खुली ज्वाला जलाने की सख्त मनाई है ।

किसी भी निर्धारित घाट अथवा पीयर में पास-पास घाट लंगाए गए दो बार्जों के बीच 9.0 मी. की सुरक्षित दूरी रखी जाएगी ।

खतरनाक माल के बार्ज/लाइटर्स का किसी भी घाट अथवा पीयर में रात्रि वास्तव्य खतरनाक खतरनाक माल के निरीक्षक की निश्चित अनुमति से ही हो सकता है ।

बार्जों के साथ-साथ खड़े रहने के लिए शेड अधीक्षक ताकि उसे बार्जों की प्राप्ति तथा दिन में माल उतारे जाने के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया की सुनिश्चित की पर्याप्त व्यवस्था समयपर करना सभव हो सके ।

4.7 विनियम क्र. 5.4 से 5.6 (दोनों शामिल है) तक के प्रावधानों का उचित अनुपालन हो रहा है यह देखने की जिम्मेदारी पत्तन विभाग के निरीक्षक की होगी ।

5.0 अन्य पत्तनो को जाने के लिये कटेनरो में भरा गुट I या किसी अन्य श्रेणी का जोखिमी माल वहन करने वाले जहाजों को वह माल जहाजपर रहने देने की अनुमति दी जायेगी । उसी प्रकार अन्य पत्तनों के लिये पैकेजेस में रखा गुट II, III, और IV का माल भी जहाजपर रहने दिया जायेगा, तथापि संक्रमण माल के सभी मामलों में मालिक/एजेंट द्वारा जोखिमी माल निरीक्षक को सत्य एवं सही तथ्य बताये जायेंगे, और वे निरीक्षक को उपाय निर्धारित करेंगे, उन्हें पूरा करेगा । आने वाले जहाज का मास्टर भी पाइलट को जोखिम संक्रमण माल का सही एवं सत्य घोषणापत्र प्रस्तुत करेगा ।

मुंबई बंदरगाह के न्यासी मंडल के आदेशानुसार

किशोर जी० आपटे

सचिव

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT
(PORTS WING)

New Delhi, the 7th October, 1994

NOTIFICATION

GSR 744(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 124 of the Major Port Trusts Act, 1963, the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust (Transport, Handling and Storage of Dangerous Goods) Regulations, 1994 made by the Board of Trustees of the Port of Bombay in exercise of the power conferred under Section 123 of the Major Port Trust Act, 1963 and duly published in Maharashtra Government Gazette dated 16-6-94 and 23-6-94 respectively, as detailed in the schedule annexed to this notification.

[File No. PR-16012/3/94-PG]

C. S. KHAIRWAL, Jt. Secy.

BOMBAY PORT TRUST

NOTIFICATION

No. SECY|G|DT-TA

The following regulations which the Board of Trustees of the Port of Bombay have made in exercise of the powers conferred by sub-sections (i) to (o) of section 123 of the Major Port Trusts Act, 1963, are hereby published as required by sub-section (2) of section 124 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that approval of the Central Government to the said regulations will be applied for on or after the expiry of a period of fourteen days from the date on which the said regulations are first published in this Gazette.

TRANSPORT, HANDLING AND STORAGE OF DANGEROUS GOODS IN THE PORT OF BOMBAY REGULATIONS, 1994

PART I

1.0 Title

These regulations may be called "The Transport, Handling and Storage of Dangerous Goods in Bombay Port Regulations, 1994" and are framed under the provisions of clauses (f) and (n) of section 123 of Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963) made by the Port of Bombay.

2.0 Application

These Regulations are applicable within the Port Limits of Bombay and in all the Docks, Wharves, Quays, Bunders, Jetties, Railway, Buildings and other works constructed or acquired by or vested in the Board of Trustees of the Port of Bombay and on lands and/or foreshore and in all the Docks under the control and superintendence of the Port of Bombay hereinafter called the Port.

3.0. Nothing contained in these rules shall be deemed to be derogatory to the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958, the Explosives Act, 1884. Petroleum Act, 1934 and the Inflammable Substance Act, 1952, Dock Workers (Safety, Health and Welfare) Regulations, 1990, the Environment Act (Protection), 1986 and the Regulations framed thereunder :

4.0. Definitions.

4.1. Boat.—Boat means a barge of similar craft used for movement of goods within the Port.

4.2. Chairman.—Chairman means the Chairman of the Board of Trustees and includes any person appointed to act in his place.

4.3. Competent Authority.—Competent Authority for the purpose of these regulations means Deputy Conservator as an officer duly appointed by the Board of Trustees to administer the provisions of these regulations.

4.4. Dengerous goods.—Dangerous Goods means goods which by reason of the nature, quantity or mode of storage of such goods are either singly or collectively liable to endanger the life or the health of the persons within the Port limits or on a vessel or to cause damage to property within such Port Limits and includes such goods contained in a receptacle, portable tank, freight container or vehicles as defined in the IMDG Code. The term includes an empty receptacle, portable tank or tank vehicle which has been previously used for carriage of dangerous goods unless such receptacle has been cleaned and dried or, when the nature of the former contents permits such carriage with satety and allow the containers to be closed securely.

Dangerous goods include all substances:—

(i) having properties coming within the classes listed in the IMDG code;

(ii) substance defined as explosives as defined by the Explosives Act, 1884, and/or the Explosive Rules, 1983;

(iii) any other goods which the competent authority may specify as dangerous goods;

(iv) hazardous chemicals listed in Schedule-1 of the manufacture, storage and import of Hazardous Chemicals Rules, 1989.

4.5. Handling.—'Handling' means the operation of loading and unloading of a vessel, railway wagon or vehicle transfer to, from or within a storage area and/or within a vessel and transshipment between vessels and any ancillary operations in the Port Area and includes stuffing and destuffing of freight container.

4.6. IMDG Code.—'IMDG Code' means the latest edition of international Maritime Dangerous Goods Code issued by the International Maritime Organisation, London.

4.7. 'IMO' means the International Maritime Organisation.

4.8. Inspector of Dangerous Goods.—Inspector of Dangerous Goods for the purpose of this regulations means a person appointed by the Competent Authority to ensure compliance with these rules at any handling/storage/disposal or transport of the dangerous goods coming to this Port.

4.9. Master.—'Master' in relation to any vessel making use of the Port means any person having for the time being the charge or control of such vessel except a Pilot, Harbour, Master, Assistant Harbour Master, Dock Master or Berthing Master of the Port.

4.10. Owner.—'Owner' when used in relation to goods includes any consignor, consignee, shipper or agent for the sale of custody loading and unloading of such goods and when used in relation to any vessel making use of the Port includes any part owner, charterer, consignee, or mortgagee in possession thereof.

4.11. Responsible Person.—"Responsible Person" means a person appointed by the 'Owner' and/or 'Master' and empowered to take all decisions relating to the tasks of transport handling and storage of dangerous goods, and having the necessary knowledge and experience for that purpose.

4.12. Transport.—'Transport', means the movement of Dangerous Goods by one or more modes of transport in Port.

4.13. Unstable Substance.—'Uustable Substance' means a substance which may present a hazard under transport or storage conditions due to spontaneous reaction (e.g. Polymerisation, decomposition, etc.) unless the necessary specific precautions are taken to prevent such a hazard (e.g. inhibition, ditution, refrigeration or other equally effective measures).

4.14 Vessel.—'Vessel' means any thing made for the convevance, carriage and/or transportation mainly by water, of dangerous goods in the Port.

4.15. Marine Pollutants.—A solution or a mixture containing 10 per cent or more of a substance identified in the IMDG Code as a Marine Pollutant shall be required to be marked as a marine pollutant and be required to comply with the IMDG Code irrespective of the class.

5.0 Classification of Dangerous Goods

For purpose of these rules, dangerous goods will be divided in to the following classes:—

Class 1—Explosives

Class 2—Gases, compressed, liquified or dissolved under pressure.

Class 3—Inflammable liquids.

Class 4.1—Inflammable solids.

Class 4.2—Inflammable solids or substances liable to spontaneous combustion.

Class 4.3—Inflammable solids or substances which in contact with water emit inflammable gases.

Class 5.1—Oxidising substances.

Class 5.2—Organic peroxides.

Class 6.1 Poisonous (toxic) substances.

Class 6.2—Infectious substances.

Class 7—Radioactive substances.

Class 8—Corrosive.

Class 9—Miscellaneous Dangerous Substances i.e. and other substances which experience has shown or may show to be of such dangerous character, are to be treated as dangerous goods.

5.1. Rgegulations for handling of Dangerous goods of Class 2 to Class 9 have been specified in Part IV of these Rules.

5.2. Supplementary rules for handling of explosives in the port of Bombay are notified under the Explosives Act, 1884, and/or the Explosives Rules, 1983.

5.3. Additional requirements for handling of dangerous goods of Class 2 to Class 9 for the Port of Bombay are specified in the Schedule II.

5.4. Evaluation of the Hazards of the harmful substances if not notified by IMO, the slipper/consignee shall be advised to apply to the Director General of Shipping, Government of India, for the same under the provisions of the Merchant Shipping (Dangerous Goods) Rules.

Part II

6.0 Arrival of the vessel

The Owner/Agent of a vessel wishing to discharge and/or load dangerous goods shall submit to the Competent Authority the following documents at least 48 hours in advance before the vessel's arrived in Port:—

6.1. Application form (as described in Schedule I).

6.2. Dangerous Goods List (3 Copies, Schedule I).

6.3. Dangerous Goods Note (3 Copies) for export cargo (Schedule I).

6.4. Certificate of packing (for Export Cargo only, if required).

6.5. Cargo Manifest.

6.6. Materials Safety Date Sheet (MSDS) of all dangerous/goods.

6.7. Details of goods marine pollutants.

6.8. Questionnaire on the characteristics of the dangerous goods for storage, handling and transport in the Indian Ports (Schedule 2).

7.0. Deposit

In case of direct delivery/loading cargo or where a limited period of storage in Port is permitted, Port may collect a deposit from Owner/Agent to cover an estimated cost of handling, storage, escort and disposal of such goods and the penalty to be imposed, if any. Amount so deposited shall be refunded after the cargo is duly loaded/discharged or handled as per instructions in the permit issued under section 8.0.

8.0 Grant of Permit

Competent Authority on receipt of these documents and the deposit shall give instructions to the Owner/Agent specifying the mode of discharge, storage, separation, requirements, equipments to be made available and any other conditions concerning safety of the Port and/or the vessel in relation to the container cargoes the Competent authority shall also designate areas/depot where the container shall be stuffed/destuffed.

9.0 Commencement of cargo handling

9.1 The Master shall submit a dangerous goods check list as prescribed in Schedule I.

9.2 The vessel may commence handling of dangerous goods only after obtaining instructions from the Competent Authority as specified in 8.0 (and after the Inspector of Dangerous Goods has satisfied himself of the correctness of the check-list and any other declaration made by the Owner/Master).

10 0 Responsibilities of the Master

10.1 The Masters of vessels carrying dangerous goods while lying in the Port Limits shall exhibit where it can best be seen.

(a) a red flag from sunrise to sunset ; and

(b) a red light from sunset to sunrise.

10.2 He shall whenever dangerous goods are handled.

10.2 (1) depute a responsible person to personally supervise the operations. Such Officer shall take and|or cause to be taken all due precautions as are necessary under the IMDG Code and these regulations.

10.2(2) keep the fire fighting gear in readiness with hoses and branch pipes connected.

10.2(3) ensure that repairs to any part of the vessel necessitating the use of open flame|open fire are not carried out.

10.2(4) bank carefully fires in engine room and extinguish all other fires or non-safety lights.

10.2(5) maintain efficient and effective communication with the reasonable person on the shore.

10.2(6) provide and use when necessary the equipment specified in the EMS Schedule as published by the IMO and HFAG published by the same authority.

10.2(7) provide access and facility to the officials of the Port for the inspection of the dangerous goods.

10.2(8) ensure that no damage|leaky containers or packages of dangerous goods are landed either in barge or ashore without the expresss permission of the Competent Authority of the Port.

10.2(9) ensure that appropriate personal protective equipment is used by those engaged in handling of these dangerous goods, and also ensure that the cargo gear and the accessories used are as required for safe handling of such goods.

10.2(10) ensure that all the dangerous goods are correctly declared as required by the IMDG Code and the Port and are correctly labelled and marked as per IMDG Code before discharging.

11.0 Responsibilities of Owner|Agent.

11.1 Owner|Agent shall make a true and correct declaration of the dangerous goods to be handled in the Port and those in transit through the Port, whether in containers or other packages.

11.2 Cases|Receptacles of each class of dangerous goods brought into the Port area shall conform strictly with the packing standard stipulated in the IMDG Code. Such cases|receptacles shall remain in a sound condition while dangerous goods are handled in the Port area.

11.3 If any case|receptacles of dangerous goods is damaged or starts leaking during handling in the Port, preventive measures as may be indicated by the Competent Authority shall be followed.

11.4 Repairs to the damaged cases|receptacles of dangerous goods or repacking their contents shall be carried out under the supervision of the Competent Authority subject to special restrictions as applicable to individual classes of dangerous goods.

11.5 No cases|receptacles of dangerous goods shall be opened anywhere within the Port area except for the purpose of drawing samples by the Customs in an approved manner and with permission to do so from the Competent Authority. Such permission may be granted subject to such additional restrictions and precautions as may be considered necessary.

11.6 Tools liable to produce sparks shall not be used to open|close|repair cases receptacles of dangerous goods or for drawing samples. As far as it is practicable to do so, samples shall be drawn by auction method without tilting the container.

11.7. Marking labelling and packing of all the hazardous goods will be as prescribed in IMDG Code.

11.8. Handle any goods which are in a leaky, damaged or in a deteriorated condition only on the specified instructions of the Competent Authority.

11.9 Provide every facility to the Competent Authority to inspect the dangerous goods.

11.10. Agents|Owners dangerous goods shall ensure that all the formalities for the clearance of the goods especially with the Customs are completed so that the delivery of the cargo can be taken almost immediately.

11.11. Stuffing and destuffiing of dangerous goods in freight containers shall be undertaken as per recommendation of the IMO and the inspector of dangerous goods.

12.0. Obligation to take precautions.

12.1. Steamer Agents|Consignors|Consignees of dangerous goods and occupiers of custodians of all premises within the Port areas shall always observe and|or cause to be observed any safety precautions required by the Competent Authority and prescribed in these regulations.

12.2. When dangerous goods are handled or stored within the Port area Agents|Owners consignors|Consignees fail to take reasonable precautions to prevent accidents, the Competent Authority may take such action as is reasonable for the safety of the Port and may recover from such Agents|Owner|Consignors|Consignees such reasonable expenses as may have been incurred from the amount deposited and if the amount so deposited is not adequate, the Port may recover its expenses by sale of the cargo.

13.0. Determination of Categories of new Substances.

When Owner|Agent seeks to import cargo which is dangerous but not covered by the IMDG Code sufficient notice shall be given to the competent authority to arrange for the modalities for the reception of such cargo, failing which such cargo may be refused entry. It such cargo is listed in Schedule 18 the manufacture, storage and import of Hazardous Chemicals Rules, 1989, the Owner|Agent shall seek specific permission and inform the Pollution Control Board of the safety measure being taken for the reception of such cargo.

14.0. Responsibility of Bargo Owner|Operator

14.1. Barges carrying dangerous goods shall not load different classes of cargoes which are incompatible and shall maintain sufficient segregation between classes when carrying more than two classes which are compatible. In every case, the instructions given by the Inspector of Dangerous Goods or the Competent Authority will be complied with.

14.2. Surface area in holds as well as on deck of barges|lighters carrying dangerous goods should be of non-friction and non-sparking type.

14.3. Lighting of naked lights or open Flames on barges carrying dangerous goods at any place is strictly prohibited.

14.4. A safe distance of 9.0 metres should be maintained between two barges berthed alongside at any designated wharf or pier.

14.5. As far as practicable barges will not be Double-Banked while handling.

14.6. Overnight stay at any wharf or pier of barges|lighters with dangerous goods shall be with the express permit granted by Inspector of Dangerous Goods.

14.7. Barges shall be permitted to come alongside by the Shed Superintendent and he shall be given sufficient notice to receive such barges and plan handling.

PART III

15.0. General Provisions

15.1. The Competent Authority may refuse dangerous goods intended for storage within or transit through the Port as it is considered that their presence is likely to endanger life or property because of their conditions, the condition of their mode of conveyance, or the conditions that may be prevailing in the Port area.

15.2. If any dangerous substances within the area constitutes an unacceptable hazard, the competent person may order the removal of such substances or packages, freight container, portable tank vessel or vehicle containing it to any other place or to sea as considered necessary.

15.3. An unsuitable substance will not be accepted unless all conditions necessary to ensure the safe transport and handling have been met and properly certified.

15.4. Only one class of cargo will be handled at a time.

15.5. The Competent Authority may destroy in a safe manner such dangerous goods which in their opinion endanger the safety of Port. Where such Dangerous Goods are so destroyed, the Owners|Agents of the goods shall not be entitled to any compensation whatsoever. The Port may remove or destroy any Dangerous Goods which have been handled or transported contrary to the instructions of the Competent Authority. The expenses for so doing may be recovered from the deposits or from the safe of the cargo, if the deposit is not adequate to meet these expenses.

15.6. The vessel will retain on board all the pollutants and stop caused by the leakages of any dangerous cargoes and take every precautions as per anti-pullution rules of the Port.

15.7. Competent Authority shall direct the handling of marine pollutants. Every precaution shall be taken to ensure that such pollutants are not dumped in the Marine Environment or dumped at sea.

16.0. Power to exempt.

16.1. Any person may appeal with respect to any order issued by the inspector of Dangerous Goods of the Port or by the Competent Authority. Such appeal shall be heard by the Chairman and his decision shall be final.

16.2 The Chairman on advice of the Competent Authority may in exceptional cases exempt conditionally or unconditionally any person or consignment of dangerous goods from all or any of the provisions of these rules.

17.0. Penalties

17.1. Any person who commits a breach of any regulations shall be liable to pay a penalty of Rupees Ten thousand and if the breach continues, a further penalty of Rupee One Thousand per day or part thereof for period during which the said breach continues to the respective Port Trust. The penalty as aforesaid shall be in addition to any action that may be taken under applicablet to port regulations.

17.2. If the default continues the Competent Authority may with the concurrence of the Chairman have the vessel removed from the berth. This will be in addition to the other penalties levied.

PART IV

REGULATIONS FOR HANDLING OF DANGEROUS GOODS

(IMDG CODE CLASS II TO IX)

Handling/Storages of Gases Compressed, liquified or dissolved under pressure

(IMDG CLASS II)

18.0 Definitions

This class covers types of gases.

18.1. Flammable gases.

18.2. Non-flammable gases.

18.3. Poisonous gases.

19.0. The Owner|Agent will abide by all the instructions as specified by the Competent Authority.

19.1. So far as fabrication fittings, markings, colour code labelling on cylinders manufactured in India are concerned, they shall conform the requirements of Gas Cylinder Rules, 1981 if the capacity is upto 1000 litres and of SMP V(U) Rules, 1981 if the capacity exceeds 1000 litres cylinders imported shall in compliance with the IMDG Code be marked to indicate that the appropriate authority has tested and certified the same.

20.0. The values of the cylinders containers carrying gas shall be protected either by being so designed or else by the provisions of a stout metal cap securely attached to the body of the said cylinder|container. There will be no physical contact between metal cap and the valve or the valved body.

21.0 Cylinders|Containers of gas shall be marked or labelled legibly as per IMDG Code with the name of the gas. Cases in which cylinders/containers of gas are packed shall also or marked or labelled likewise.

22.0. Handling and use of Cylinders.

Cylinders shall be adequately supported during handling.

Trolleys and cradles of adequate strength shall as far as possible, be used when moving the cylinders.

The Cylinders shall be handling carefully and not be allowed to fall upon one another or otherwise subject to any undue shock.

Sliding, dropping or playing with cylinder is prohibited.

Liquified petroleum gas cylinders and cylinders containing liquifiable gases shall always be kept in an upright, position and shall be so placed that they cannot be knocked over.

Cylinders used in horizontal position shall be so secured that they cannot roll.

Open flames, lights, lighting of fires, welding and smoking shall be prohibited in close proximity to any cylinder containing flammable gases except those only in use for welding, cutting or healing.

23.0. All the gas cylinders|containers shall be stocked on trays when handling. However, if this is not practicable, sitting of any other safe method shall be used as prescribed by the Competent Authority.

24.0. Every care and precaution shall be taken to prevent the contamination of value and fittings of the cylinders|containers by oily and fatty substances.

25.0. Cylinders|containers containing flammable gases and toxic gases shall be handled separately and kept adequately separated from each other and from cylinders having other type of gases, at all times.

26.0 Cylinders|Containers of gas shall at all times be protected from sun's rays and other sources of direct heat.

27.0. Cylinders|Containers of gas shall not be overstowed with other cargo.

28.0. These regulations are also applicable in the case of empty cylinders|containers, unless they are affectively made gas free.

Handling and storage of packed flammable liquids (IMDG Code Class III)

29. These regulations cover 'Flammable Liquids' packed in drums, receptacles and cases. Containers for petroleum products shall conform to the requirements laid down in the Petroleum Rules, 1976.

For the purpose of these rules, Flammable Liquids will be divided into the following groups :—

29.1. Class 3.1—Low flashpoint group of liquids having a flash point below 18°C(0°F) closed up.

29.2. Class 3.2.—Intermediate flashpoint group of liquids having a flashpoint of 18°C (0°F) upto, but not including 23°C(73°F), closed cup test.

29.3. Class 3.3.—High flashpoint group of liquids having a flashpoint of 23°C(73°F) upto and including 61°C (141°F) closed cup test.

30.0. Precautionary Measures

The Owner|Agent will abide by all the instructions as described by thhe Competent Authority.

31.0. The liquids in this class are liable to polymerise and liberate dangerous gases and heat, possibly resulting in rapture of the receptacle. Therefore, utmost precautions and care should be taken when handling the container| receptacles holding these liquids. They shall not be dropped, bumped, rolled or otherwise mishandled.

32.0. The vapours from nearly all the liquids in this type have properties of narcotic effect to some degree. Labour handling them shall be protected against this hazard.

33.0. When these goods are handled, they shall be away from all the direct sources of ignition, even in the transit, they shall be kept in cool and well ventilated place.

34.0. All personnel working in this area or near vicinity are prohibited from bringing matches, lighters or flints, any other material likely to cause ignition or spark.

35.0. Whenever a leaky drum is traced, it shall be isolated under the instructions of the Competent Authority.

36.0. Barring exigencies, these goods shall be only handled during day light hours.

37.0. The packaging of these goods is such as to protect them from external source of ignition. If this is damaged, it should be rectified under the instructions of the Competent Authority.

38.0. Non-sparking tool and auction methods should be used when drawing samples from these liquids.

39.0. Segregation and separation of these cargoes vis-a-vis other cargoes shall be as prescribed in the IMDG Code.

Handling and storage of goods prescribed in India Code Class IV

40.0. Class 4.1.—Flammable Solids.

The substances in this class are solids possessing the proporties of being easily ignited by external sources, such as sparks and flames, and of being readily combustible, one being liable to cause or contribute to fire through friction.

40.1. Class 4.2.—Substances liable to spontaneous combustion.

The substance in this class are either solids or liquids possessing the common property of being liable spontaneously to heat and to ignite.

40.2. Class 4.3.—Substances which, in contact with water emit flammable gases.

The substances in this class are either solids or liquids possessing the common property, when in contact with water, of evolving flammable gases. In some cases are being liable spontaneously ignition.

A. IMDG Code Class IV(I)

41.0. The Owner|Agent shall strictly abide by the instructions for handling of those goods as given by the Competent Authority.

42.0. Care shall be taken to ensure that the packages are not damaged during the handling. This cargo should not be dropped, bumped, rolled or otherwise mishandled.

43.0 Particular care shall be taken that there is no spillage of this cargo during handling. In the event of spillage, it shall be disposed of in a safe manner as prescribed by the Competent Authority.

44.0. Under no circumstances, any vehicles or machineries or other cargo be allowed to roll over these spillage of flammable solids.

45.0. It is particularly important to ensure that at every stage during handling|storage or transporting such cargo is handled away and at safe distance from other cargoes. as may be prescribed by the Competent Authority.

B. IMDG Code Class IV(ii)

46.0. All the above regulations are applicable to this category also. In addition, they will be subject to the following restrictions.

47.0. If packed in hermentically sealed condition throughout the period, they can be allowed to remain within the Port area.

48.0. Flammable solids or substances liable to spontaneous combustion shall be transit stored in small stacks either inside the hazardous cargo shed or in any other premises indicated in the instructions covering individual consignments of such goods. Proper space shall always be left between such small stacks and between the stacks and the walls all around. Such stacks shall be inspected regularly and periodically by the Competent Authority for signs of overheating. In case any stack is found to be warmer than normal, such stacks shall be broken up, cooled by aeration and re-stacked in a safe manner.

C. IMDG Code Class IV(iii)

49 0. Regulations from 41.0 to 45.0 shall be applicable to this class also. In addition, they will be subject to the following restrictions.

50. Flammable solids or substances which in contract with water emit flammable gases shall not be handled whenever it is raining.

During all stages of handling and transit storage of such substances, all possible precautions shall be taken to prevent such substances getting wet or exposed to damp air.

51.0. As some substances are liable to react dangerously even with the damp air, any container holding this cargo which is damaged or broken shall be handled as directly by the Competent Authority and he may take such action as is considered necessary for ensuring safety. He may even order the destruction of the container, if he deems it necessary.

Handling|Storage-IMDG Code Class V

Class VI

52.0 Oxidising substances (Agents)

These are substances which, although in themselves not necessarily combustible may, either by yielding oxygen or by similar processes, increase the risk and intensity of fire in other materials with which they come into contact.

52.1. Class VII-Organic Peroxides.—Organic substances which contain the bivalent 0-0 structure and may be considered derivatives of hydrogen peroxide, where one or both the hydrogen atoms have been replaced by organic radicals. Organic peroxides are thermally unstable substances, which may undergo exothermic self accelerating decomposition. In addition, they may have one or more of the following properties.

be liable to explosive decomposition

burn rapidly

be sensitive to impact or friction

react dangerously with other substances

cause damage to the eyes.

53.0. The Owner|Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.

A. Oxidising Substances

[IMDG Code Class V(i)]

54.0. All the substances in this class have the property of giving off oxygen when involved in fire and mixture of these substances are readily ignited with combustible material sometimes even by friction or impact. Therefore, all the Boats, all the places on the shore or warehouses shall be throughly cleaned prior to receipt of this cargo.

55.0. Any damaged or leaky container shall be moved under the instructions of the Competent Authority.

56.0. In the event of spillage of this cargo, such spillage should be swept separate and disposed oil as prescribed by the Competent Authority. Under no condition should this spillage be rolled over by weight of any type.

57.0. These substances should particularly be well separated from acids, since they are liable to give off toxic gases.

58.0. It is necessary to throughly clean the barges and all the areas where this cargo was stored after its delivery or disposal.

59.0. Special restrictions on Ammonium Nitrates Ammonium Nitrate to be brought to the Port should be certified to be free from organic impurities, as specified by the IMDG Code. A certificate of purity issued by the Competent Government Authority in the country of manufacture will have to be produced before such cargo or vtssel is allowed inside the docks. These rules will not apply to Ammonium Nitrate of fertilizer grade.

B. Organic Peroxide

IMDG Code Class V(ii)

60.0. Handling of Organic Peroxides

Receptacles of liquid organic peroxide shall be handled in dead upright position. Even slight tilt may lead to spillage. This liquid is liable to react violently with the metal of the receptacle or any other substance they contract, which may lead to violent explosion.

61.0. Other organic peroxides (not in the liquid state) shall be handled with utmost care, using landing cushions if necessary thus avoiding frictional contract.

62.0. If any package|receptacles containing proxides is discovered to be damaged or in a leaky condition, it shall be drenched copiously with water and disposed off in a manner as directed by the Competent Authority. Re-packing or repair of the damage receptacle is not permitted in the Port area.

63.0. While these goods are being handled, the fire hoses should be laid out with the fire crew in readiness throughout.

64.0. Contract of organic peroxides with the eye shall be avoided and when working this type of cargo, necessary protective equipment is to be provided and used.

65.0. At all times, the cargo should be kept away from sparks, flame or any other source of ignition.

66.0. These cargo packages shall be protected from direct sun's rays and stored and handled in well ventilated places.

67.0. Organic peroxides shall be handled separately and isolated from any other cargo.

68.0. This cargo shall only be handled during the day light hours.

Handling|Storage-IMDG Code Class VI

69.0. Class VI-I Poisonous (toxic) substances

"Toxic" has the same meaning as "Poisonous" These are substances liable either to clause death or serious injury or to harm human health if swallowed or inhaled, or by skin contact.

69.1. Class VI-II Infectious substances.— These are substances containing viable micro-organisms or their toxins which are known, or suspected, to cause disease in animals or humans.

70. The Owner|Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.

71.0. Receptacles.—Receptacles of poisonous substances brought in the Port shall remain in a hermetically sealed or effectively closed condition so as to prevent escape therefrom of vapours| liquids|dust.

72.0. The receptacles|containers should be inspected prior to receipt of the barge and at all times, they are being handled. Any leaky or damaged receptacle should be moved only under the instruction of the Competent Authority.

73.0. The substance of this class which has a flash point below 61 C, 141.8 F is also by definition an flammable liquid. Therefore, while handling such type of substance, all the care shall be exercised as recommended for flammable liquid and they should be stored in a cool and well ventilated place.

74.0. All receptacles containing such cargo shall be handled in an upright position to prevent spillage.

75.0. These substances could be poisonous either by skin absorption, ingestion or inhalation. Therefore, labourers or any person involved in handling these substances shall be protected by appropriate protective equipment as prescribed by the Competent Authority.

76.0. The receptacles of such substances should be handled well separated from the other cargo .

77.0. If and when these substances are stored in open, they should be properly covered with weighted tarpauline inspected frequently to detect any leakages and the stack should be prominently marked with appropriate IMDG, lable, so that the people working in the vicinity can identify it as poisonous goods. However, these substances with a flash point of less than 61C, 141.8F shall be stored in a cool and well ventilated place as any flammable liquid is stored.

78.0. Dispostal—In case of damage or spillage during transit or storage, the disposal of the contents and of any other goods contaminated by a spillage shall be determined by the Competent authority thereof.

Authority with the advice from the Port Health Officer and the Customs Officer shall be suitably informed.

79.0. Action to be taken in the event of any Accident involving Poisonous Substances.

In the event of any receptacle|case of any poisonous substance getting accidentally damage| leaky during handling or transit storage.

79.1. Notify the Competent Authority.

79.2. Direct the men in the vicinity to move to a safe area.

79.3. Arrange to send to the Port Trust Hospital, persons who are suspected to have been contaminated with the poison after giving First Aid if practicable.

A responsible employee of the section shall accompany these persons to convey to the Duty Doctor information regarding the name and known properties of the poison involved in the accident.

79.4. Suitable action shall be taken for decontaminating the area of spillage. (Goods contaminated by the Spilt poison shall be isolated for disposal as stipulated).

80.0. De-Contamination

In case of spillage involving poisonous substance of this class, particularly liquid pesticides, de-contamination measures appropriate to the substance concerned shall be carried out under the competent supervision.

80.1. If person shall be allowed to enter any hold of a vessel or compartment where there is any reason to suspect leakage of some substances of this class unless the Master or the responsible officer has taken all safety measures and satisfied that it is safe to enter the same.

80.2. Emergency entry into the hold under other circumstances shall be undertaken by trained staff wearing self-contained breathing apparatus and other protective clothing.

Infection Substances. IMDG Code V(II)

81.0. Any Owner|Agent wishes to handle infection substances, he shall give the Competent Authority all the relevant particulars of the goods to be handled in sufficient time. This time should be enough for the Port Authorities to seek the expert advice and help so that these goods can be handled abiding by all the restrictions as may be determined by such experts.

Handling of Radioactive Substances. IMDG Code Class

82.0. Definition

For the purpose of carriage, any material with a specific activity of more than 70 KBQ|kg. must be declared as a radioactive material.

83.0. Consignees|Agents wishing to handle such material shall seek the advice of BARC (Trombay) for instructions regarding the handling of these goods.

84.0. They shall submit to the Competent Authority copies of the hazardous cargo manifest (Schedule I) together with the copies of the BARC instructions sufficiently in advance to enable the Port to make arrangements to receive this cargo.

85.0. This cargo is generally handled by the consignees under expert technical supervision. However, the Competent Authority shall be responsible to see that all the recommendations of the Atomic Energy Regulation Board are carried out.

Handling and Storage of Corrosives. IMDG Code Class VII

86.0. The Owner|Agent shall strictly abide by the instructions for handling of these goods as given by the Competent Authority.

87.0. Substances in this class have the property of severely damaging living tissues. The substances may omit vapours, which can cause irritation to the mucous membranes, some vapours can even be toxic. Therefore, it is very essential that all the people handling this cargo and likely to come in contact with this substance shall be provided with appropriate personal protective equipment.

88.0. This cargo shall be handled well separated from the cargo other class and special care should be taken to insure that acids and alkalis are well separated.

89.0. The receptacles|carboys should be handled with extreme care and always in an upright position to prevent any damage or spillage.

90.0. Any damage receptacles|carboys shall be isolated and moved further under instructions of the Competent Authority and special precautions shall be taken to avoid direct skin contact.

91.0 The goods in this class with flash point of less than 61C shall be flammable goods and as such all the necessary precautions shall be taken during the handling and storage.

92.0. These goods shall be stored in covered spaces and when this is not possible they shall be stored in the open on a covered platform well segregated from other cargoes and well marked.

93.0. Whenever any receptacle|carboys handling corrosive substances get damaged, they shall be rendered harmless or destroyed as directed by the Competent Authority.

94.0. In the event of an accident.

94.1. All the persons in the vicinity shall be directed to move away to a safe area.

94.2. The affected persons shall be given first-aid and thereafter immediately transferred to a hospital or other place of treatment.

94.3. Specialised medical aid shall be summoned.

and

94.4. The Competent Authority shall be notified forthwith.

95.0. The Competent Authority shall organise suitable action for decontaminating the area of spillage as well as all the articles contaminated by the spill corrosive.

Handling and Storage of Miscellaneous Dangerous Substances

(IMDG Code Class IX)

96.0. Class IX—includes a number of substances, which cannot be properly brought under any of the precisely referred classes because they offer a particular danger which cannot be properly covered by the regulations for the other classes or which presents a relatively low transport hazard.

97.0. While giving the clearance for such substances the Competent Authority shall carefully consider the Characterstic properties and known hazards of such substances and shall stipulate such precautionary measures as may be necessary for ensuring safety during their handling and storage.

98.0. Repeal

On commencement of these regulations, the BPT (Handling of Hazardous Cargo) Regulations, 1986 stand repealed. Provided such repeal shall not affect the previous operation of the said regulation or orders or practices or anything done or action taken thereunder.

APPLICATION FORM FOR DISCHARGING/ LOADING OF DANGEROUS GOODS

Name of Clearing and Shipping Agency

The Inspector of Dangerous Goods,

.....Port Trust,

.....

Sir,

Re. :—Name of the Ship and Voyage No.

Due Date.

The above vessel is expected to arrive at this Port from.....(Port) on..... (date).

2. *She will be carrying on board dangerous goods for discharge at this Port.

(Attach separate list)

3. *The vessel also carries the following dangerous goods as transit for the next Port/s of call of.....(Name of Port/s).
(Attach separate list)

4. *We propose to load the following dangerous goods on the subject vessel for the Ports mentioned below.
(Attach separate list)

5. Please acknowledge and issue necessary instructions for the above cargo on the list attached.

Thanking you,

Yours faithfully,

Encl. (1) Danderous Goods Lists.

(2) Dangerous Goods Note.

(3) Check List.

(4) Certificate of packaging (for export cargo if required).

(5) List of Transit Cargo if on board.

SCHEDULE I

This Schedule contains specimen list of application forms with dangerous goods list, dangerous goods note and check list. The vessel is required to submit these forms properly filled before commencing loading and/or discharging and dangerous goods.

SHIP'S CHECKLIST FOR DANGEROUS GOODS

Ship's Name :.....
Berth :.....
Port :.....
Date :.....
Instruction for completion

The safety of operations require all the questions to be answered in the affirmative. If an affirmative answer is not possible the reason should be given.

Serial No.	Remark
1. Is the vessel security moored ?	
2. Is there an effective dockwatch in attendance on board ?	
3. Is the ship-shore communication system operative ?	
4. Are fire houses and fire fighting equipment ready for immediate use ?	
5. Are sea and overboard discharge valves, when not in use, closed so that the pollutants are not dischanged overboard ?	
6. Are 'NO SMOKING' signs prominently displayed in work area and smoking requirements being observed ?	
7. Are the requirements for the use of galley and other cooking appliances being observed ?	

8. Are naked light requirements being observed ?

9. Is the personal protective gear available for use by the work force ?

10. Is the work area properly illuminated for the purposes of carrying on the work ?

11. Is the handling equipment properly tested and certified and suitable for use ?

12. Are you ready to implement the EMS plan as prescribed for the cargo ?

13. Do you have the necessary antidotes as prescribed by MFAG Code ?

14. Are repairs involving hot work in the vicinity of the work place stopped ?

15. Are the containers, packages, carbuoys, bottles or drums or any other means of packing and, free of damage, free of leakage and otherwise safe for purpose ?

MASTER

Footnote.—No vessel will commence handling of dangerous goods unless the checklist is signed by the Master. In addition, if any of the answers is in the negative permission of the Competent Authority is required prior to starting handling of dangerous goods operations.

SCHEDULE II

1.0. The dangerous goods for the purpose of mode of discharge and handling in the Port of Bombay are divided into following groups with reference to IMDG Classification, packaging and stowage.

1.1. Group 1

IMDG Classification

3.1. FP below-18°C

3.2. FP below-10°C

4.1. (Packaging Group I and Stowage Category D)

4.3. (Packaging Group I and Stowage Category D)

6.1. (as above and Flash Point below 10°C)

8.0. (as above and Flash Point below 10°C)

To be discharged in stream for direct delivery at Haji Bunder. However, the competent authority may permit containerised cargo to be discharged at the open berth in the Docks for direct delivery.

1.2. Group II

IMDG Classification

2.1.

2.3.

3.2. (Flash Point above 10°C to 23°C)

4.1. (Packaging Group II and Stowage Category E and C)

4.2. (Prackaging Group I and Stowage Category D and E)

4.3. (Prackaging Group II and Stowage Category E and C)

5.1. (Packaging Group I and Stowage Category D and E)

5.2. (Parkaging Group I and Stowage Category D and E)

6.1. (Flash Point below 10°C to 23°C)

7.0.

8.0. (Flash Point below 10°C to 23°C)

To be discharged in stream for direct delivery at Haji Bunder. Containers carrying cargo in this group may be permitted to be landed in the docks for removal to Haji Bunder for storage and delivery.

1.3. Group III

IMDG Classification

2.2.

3.3. (Flash Point below 23°C to 61°C)

4.1. (Packaging Group III and Stowage Category B and A)

4.2. (Packaging Group II and III and Stowage Category C, B and A)

4.3. (Packaging Group III and Stowage Category B and A)

5.1. (Packaging Group II and III and Stowage Category C, B and A)

5.2 (Packaging Group II and Stowage Category C, B and A)

6.1. (Packaging Group I and II and Stowage Category D, E and C)

8.1. (Packaging Group I and II and Stowage Category D, E and C)

"To be permitted to be discharged in the Docks on barges or wharf for direct removal to Haji Bunder for storage and delivery".

1.4. Group IV

IMDG Classification

6.1. (Packaging Group II and III and Stowage Category A and B)

8.0. (Packaging Group II and III and Stowage Category A and B)

To be permitted to be discharged in the Docks for storage and delivery subject to such conditions as may be specified by the competent authority for handling storage.

As location of discharge is indicated in the above clause itself, clause 2 of Schedule II would stand deleted.

2.0. Responsibility of the Owner|Agent

The Owner|Charterer|Agents or consignees shall obtain prior clearance from the Inspector of Hazardous Goods regarding the mode of handling of the dangerous goods prior to the vessel's arrival in the Port. Even when the vessel is carrying Category 'C' or 'D' type cargo, where vessels are allowed to come into the docks prior permission will have to be obtained failing which the vessel may be refused dock entry.

3.0. Responsibility of Ship's Master

The Ship Master will make to the Pilot correct and true declaration of dangerous goods on the ship prior to vessel's berthing in stream or in docks.

4.0. Responsibility of Barge Owner

4.1. Barges carrying dangerous goods shall not mix different classes of cargoes which are incompatible and also will maintain sufficient segregation between classes when carrying more than two classes which may be compatible. In every case, the instruction as given in by the Inspector of the Dangerous Goods of the Competent Authority be complied with.

4.2. Surface area of barges|lighters carrying dangerous goods should be of non-friction and non-sparking type.

4.3. Lighting of naked lights or open flames on barges carrying dangerous goods at Haji Bunder is strictly prohibited.

4.4. A safe distance of 9 meters (30 feet) should be maintained between two barges berthed along side at Haji Bunder.

4.5. Barges will not be Double-Banked at Haji Bunder.

4.6. Overnight stay of barges|lighters at Haji Bunder is prohibited. They can also come alongside with the prior permission of Shed Superintendent on duty to enable him to make adequate arrangement in time to receive the barges and ensure enforcement of prescribed procedure regarding unloading during day-light hours.

4.7. The Port Department Inspector will be responsible to see that the provision of these regulations from and including 5.4 to 5.6 are complied with.

5.0. The vessels carrying goods under Group-I or any other category of dangerous goods, in container for other Ports are allowed to retain these cargoes on board. Similarly, when the cargo is in packages for other Port in Groups II, III and IV these cargoes also may be retained on board. However, in all cases of transit cargoes, the true and correct declaration will be made by the Owner|Agent to the Inspector of Dangerous Goods and he shall abide by such precaution as may be prescribed by the Inspector. The Master of the incoming vessel shall also make a correct and true declaration of the dangerous cargo in transit to the Pilot.

By order of the Board of Trustees of the Port of Bombay.

KISHOR G. APTE. Secy.

Bombay, 11th May, 1994.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1995